



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]
No. 346]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 2012/आषाढ़ 20, 1934
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 11, 2012/ASADHA 20, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 553(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2011 का प्रारूप भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 694(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियों जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियों 16 सितम्बर, 2011 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के विषय में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय 1

प्रारंभिक

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) अभिप्रेत है;
- (ख) "अमोनियम नाइट्रेट" से रासायनिक फार्मूला NH_4NO_3 वाला यौगिक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट सहित भार के आधार पर कोई मिश्रण या यौगिक भी है जिसमें 45 प्रतिशत से अधिक (अकार्बनिक नाइट्रेट सहित या उसके बगैर) पायस, निलंबन, गलित या जेल हो, किन्तु उसमें पायस या विच्छिल विस्फोटक और गैर-विस्फोटक पायसी मैट्रिक्स और उर्वरक सम्मिलित नहीं हैं जिससे किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त न किया जा सके;
- (ग) "मुख्य नियंत्रक" से मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अभिप्रेत है;
- (घ) "सक्षम व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो यथास्थिति, अमोनियम नाइट्रेट के सुरक्षित विनिर्माण, संपरिवर्तन, भण्डारण, परिवहन और हथालन में पर्याप्त रूप से अनुभवी और पूर्णतः सुपरिचित हो;
- (ड) "नियंत्रक" के अंतर्गत संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, विस्फोटक नियंत्रक और उप विस्फोटक नियंत्रक भी हैं;
- (च) "संपरिवर्तक" से कोई व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है जो अपने निजी कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट के ठोस रूप को गलन रूप में या अमोनियम नाइट्रेट के गलन रूप को ठोस रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है;
- (छ) "संरक्षक" के अंतर्गत व्यक्ति या अभिकरण या कंपनी भी है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 7 के अधीन किसी पत्तन के संरक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी या व्यक्तियों के निकाय के प्राधिकार के अधीन कार्य करता हो;
- (ज) "जिला प्राधिकारी" से, -
 - (i) नगरों में जिनका एक पुलिस आयुक्त है, पुलिस आयुक्त या उप पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है;
 - (ii) किन्हीं अन्य स्थानों में, जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

- (इ) "विभागीय परीक्षण केन्द्र" से पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का परीक्षण केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ज) "विस्फोटक" से विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन यथा परिभाषित विस्फोटक अभिप्रेत है;
- (ट) "पायस विस्फोटक" और "गैर-विस्फोटक पायस मैट्रिक्स" का वही अभिप्राय होगा जो विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन पारिभाषित है;
- (ठ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ड) "अनुजप्ति" से अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, आयात, निर्यात, नौभरण और पेटी में बंद करने, परिवहन, कब्जे में रखने, विक्रय और उपयोग करने के लिए पूर्वाधिक्षित दस्तावेज अभिप्रेत है;
- (ढ) "अनुजापन प्राधिकारी" से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अनुजप्ति जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ण) "अधिष्ठाता" से किसी परिसर के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका परिसर पर नियंत्रक है और जो परिसर के मामलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है और अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसके कब्जे में अमोनियम नाइट्रेट है:
- परन्तु-**
- (i) सांपत्तिक फर्म के संबंध में स्वत्वधारी; या
 - (ii) भागीदारी फर्म के संबंध में अन्य सभी भागीदारों द्वारा लिखित में नामनिर्दिष्ट भागीदार; या
 - (iii) कम्पनी के संबंध में, निदेशक बोर्ड द्वारा लिखित में नामनिर्दिष्ट निदेशक;
 - (iv) सोसाइटी या संगम के संबंध में, शासी निकाय द्वारा लिखित में नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी, अधिष्ठाता होगा;
- (त) "संरक्षित संकर्म" में ऐसे भवन या ढांचे शामिल हैं जिसमें व्यक्ति निवास करते हैं, कालेज, स्कूल, अस्पताल, रंगशाला, सिनेमा घर, दूकान, कार्यालय, बाजार, परिसंकटमय पदार्थ के भण्डारण का स्थल आदि है किन्तु इसमें कृषिय कुर्वाँ और उससे जुड़ा पंप सैट शामिल नहीं हैं;
- (थ) "पिच्छल विस्फोटक" और "स्थल मिश्रित विस्फोटक" का वही अर्थ होगा जो विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन पारिभाषित है;
- (द) "भण्डार गृह" से अमोनियम नाइट्रेट गलन से भिन्न अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने या उसका भण्डारण करने के लिए बना स्वतंत्र भवन अभिप्रेत है;

(ध) "नौभारिक" के अंतर्गत कोई व्यक्ति या अभिकरण या फर्म भी होगा जो पोत से थोक मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट की चढ़ाई और उत्तराई, उसे पेटी में रखने के लिए पारेषण भण्डार तक उसके परिवहन का कार्य करता है;

(न) "सुरक्षा और संरक्षा प्रबंध योजना" से अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण कारखाना, नौभरण, परिवहन, भण्डारण और उपयोग परिसर में सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने और उसका प्रबंध करने के लिए व्यापक योजना अभिप्रेत है;

3. नियमों का लागू होने का विस्तार और अपवाद-

(1) ये नियम अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, आयात, निर्यात, नौभरण, पेटी में रखने, परिवहन, और विक्रय या उपयोग के लिए उसे कब्जे में रखने को विनियमित करने के लिए पूरे भारत में लागू होंगे।

(2) इन नियमों की कोई बात निम्नलिखित द्वारा अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने, उपयोग करने, परिवहन या आयात या निर्यात किए जाने के संबंध में लागू नहीं होगी:-

(क) संघ के सशस्त्र बलों में से कोई और आयुध कारखाने या ऐसे बलों की अन्य स्थापनाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार, जब निजी प्रयोजन के लिए उपयोग हो रहा हो;

(ख) भारतीय रेल और उसका प्राधिकृत मालवाहक जब वह मालवाहक के रूप में कार्य कर रहा हो;

(ग) पत्तन प्राधिकारी;

(घ) केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति जब वह अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग कर रहा हो।

(3) इन नियमों की कोई बात स्थापित प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सा संस्थाओं, अस्पतालों और स्वास्थ्य क्लीनिकों द्वारा वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए पाँच किलोग्राम से अनधिक मात्रा के अमोनियम नाइट्रेट अपने कब्जे में रखे जाने और उसका प्रयोग किये जाने पर लागू नहीं होगी।

परन्तु स्थानीय पुलिस को उपरोक्त प्रयोजन के लिए कब्जे में रखी गई मात्रा की सूचना दी जाएगी।

अध्याय 2

साधारण उपबन्ध

4. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण और पेटी में रखने, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय या प्रयोग के लिए कब्जे में रखने पर नियंत्रण - इन नियमों के अधीन यथा प्राधिकृत या अनुजप्ति के सिवाए कोई व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय या प्रयोग के लिए कब्जे में रखने का कार्य नहीं करेगा:

5. अनुजप्ति प्रदान किए जाने की पूर्वापेक्षाएं - कोई अनुजप्ति इन नियमों के अधीन अधिकथित सभी सुसंगत उपबंधों और इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची 2 के भाग-2 के अधीन अनुजप्ति प्ररूपों में अंतर्विष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किए जाने पर ही प्रदान की जाएगी अन्यथा नहीं:

परन्तु सभी विद्यमान विनिर्माता, संपरिवर्तक, उपयोक्ता, परिवाहक, नौभारिक, विक्रेता, कब्जाधारी, आयातक और निर्यातक छह माह के भीतर अनुजप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करेंगे और इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

6. साधारण निर्बंधन-

(1) विनिर्माण पर निर्बंधन -

अनुजप्ति में निर्देशित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण नहीं होगा।

(2) भण्डारण और संपरिवर्तन पर निर्बंधन -

(क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह आबादी वाले क्षेत्रों में अवस्थित नहीं होना चाहिए।

(ख) संपरिवर्तक के सम्यक रूप से अनुजप्त परिसर के सिवाए किसी अन्य स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट का संपरिवर्तन नहीं होगा।

(ग) कोई व्यक्ति किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी किसी उर्वरक से आमोनियम नाइट्रेट नहीं प्राप्त करेगा।

(3) विक्रय या उपयोग के लिए नौभरण, पेटी में रखने और कब्जे में रखने पर निर्बंधन-

(क) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुजप्ति में विनिर्दिष्ट एक अनुजप्त भण्डार गृह में उसकी शर्तों के अधीन के सिवाए विक्रय या उपयोग के लिए अमोनियम नाइट्रेट का नौभरण, पेटी में रखने और उसे कब्जे में रखने का कार्य नहीं करेगा;

(ख) कोई व्यक्ति किसी कार्बनिक सामग्री, धात्विक पाउडर या स्क्रैप, या सल्फर, फास्फोरस आदि से पूर्णतः या अंशतः संटूषित किसी अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण, प्रसंस्करण, सुपुद्गी, प्राप्ति, हथालन या परिवहन नहीं करेगा।

(4) आयात या निर्यात पर निर्बंधन -

(क) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुजप्ति की शर्तों के अधीन और उसके अनुसार के सिवाए किसी अमोनियम नाइट्रेट का आयात या निर्यात नहीं करेगा;

(ख) किसी अमोनियम नाइट्रेट का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित उसके पत्तन के सिवाए अन्य स्थान पर आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा;

(ग) भारत सरकार के पोत-परिवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा मुख्य नियंत्रक के परामर्श से इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से अनुमोदित और सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा सीमाशुल्क पत्तन के रूप में घोषित किए गए पत्तनों के माध्यम के सिवाए समुद्र मार्ग से भारत में अमोनियम नाइट्रेट का आयात नहीं किया जाएगा।

(घ) समुद्र मार्ग से भारत में आयात किये गये अमोनियम नाइट्रेट को पत्तन में भण्डारित नहीं किया जाएगा ।

(5) परिवहन पर निर्बंधन -

- (क) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन किसी अन्य विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेल, गैस, कार्बनमय सामग्री आदि के साथ नहीं किया जाएगा;
- (ख) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन भाड़े पर यात्रियों के लिए चलाए गए या उनकी ढुलाई कर रहे किसी वाहक पोत में नहीं किया जाएगा ।

(6) सुपुर्दगी या प्रेषण पर निर्बंधन -

(क) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सिवाए उसी व्यक्ति को किसी अमोनियम नाइट्रेट की सुपुर्दगी या प्रेषण करेगा जो:

- (i) अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति धारक हो या ऐसे अनुजप्ति के धारक का अभिकर्ता हो जिसे उसकी ओर से लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो; या
- (ii) इन नियमों के अधीन अनुजप्ति के बगैर अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने के लिए अधिकृत हो ।
- (ख) इस तरह सुपुर्द किया या प्रेषित किया गया अमोनियम नाइट्रेट किसी भी मामले में किसी भी समय पर उस मात्रा से अधिक नहीं होगा जिसके लिए व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुजप्ति धारण करता हो ।
- (ग) कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के सिवाए जो इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुजप्ति धारण करता हो किसी अन्य व्यक्ति से अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त नहीं करेगा ।

(7) अमोनियम नाइट्रेट के हथालन पर निर्बंधन - कोई व्यक्ति सूर्यास्त और सूर्योदय के घण्टों के बीच किसी अमोनियम नाइट्रेट के हथालन नहीं करेगा या हथालन नहीं कारित करेगा:

परन्तु इस नियम की कोई बात अंधकार वाले घण्टों के दौरान अमोनियम नाइट्रेट के हथालन के लिए लागू नहीं होगी यदि क्षेत्र में उचित प्रदीप्ति की व्यवस्था हो और स्थान की चौकसी की जा रही हो ।

(8) बच्चों, मदोन्मत्त व्यक्तियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों के नियोजन पर निर्बंधन -

कोई व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, पेटी में रखने, भण्डारण, विक्रय लदाई, उतराई या परिवहन के लिए या इन नियमों के अधीन परमिट दिये गए किसी परिसर में प्रवेश करने के लिए उस व्यक्ति को नियोजित, स्वीकृत या विनियोजित नहीं करेगा -

- (क) जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है; या
- (ख) जो मदोन्मत्त है; या
- (ग) जो मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है ।

(9) विषेल, क्षयकारी, परिसंकटमय या ज्वलनशील पदार्थों पर निर्बंधन - किसी विषेल, क्षयकारी या ज्वलनशील या कार्बनमय वस्तु, लघुकारी तत्व, पेट्रोलियम, कैल्सियम कार्बाइड, संपीडित गैस या कोई अन्य रसायन जैसे अन्यथा परिसंकटमय पदार्थ जो अमोनियम नाइट्रेट के साथ इस ढंग से प्रतिक्रिया कर सके जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट हो सके को अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, पेटी में रखने, भण्डारण, आयात, निर्यात, परिवहन या हथालन के लिए बनाए गए परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(10) प्रयोग पर निर्बंधन- अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन परमिट दिये जाने पर ही धमाका के लिए अकेले ही या अन्य तत्वों के साथ सम्मिलित करके किया जा सकेगा अन्यथा नहीं।

7. सक्षम व्यक्ति का नियोजन -

(1) किसी अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण या संपरिवर्तन सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाए नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - उपनियम (1) में निर्दिष्ट सक्षम व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जो अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा धारक हो या विज्ञान में स्नातक हो और आवश्यक अहंता के रूप में रसायन या विस्फोटक उद्योग में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव रखता हो और वैकल्पिक अहंता के रूप में औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा धारक हो और अनुजप्ति धारक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और संपरिवर्तन के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया गया हो।

(2) किसी भवन या उसके किसी भाग में अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण, पेटी में रखने, हथालन, परिवहन और प्रयोग से सहबद्ध सभी प्रचालन अनुजप्ति धारक द्वारा नियोजित व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे जो उसकी प्रक्रिया और उससे संबद्ध जोखिमों और इन नियमों के प्रावधानों से अवगत हो।

8. अमोनियम नाइट्रेट की पैकिंग - कोई व्यक्ति तब तक अमोनियम नाइट्रेट का आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा या विक्रय नहीं करेगा जब तक -

- (क) वह एक उचित जलसह पेटी या डिब्बे में सम्यक रूप से पैक न किया गया हो या नौभारिक या संपरिवर्तक द्वारा उचित ढंग से पेटी में न रखा गया हो;
- (ख) डिब्बे या पैकेज पर नियम 8 के अनुसार चिह्नांकन न किया गया हो;
- (ग) पैकेज भारतीय मानक ब्यूरों के सुसंगत मानक या मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित अन्य मानकों के अनुरूप न हो; और
- (घ) निर्यात या आयात के लिए अमोनियम नाइट्रेट के पैकेज अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिसंकटमय माल संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात इन नियमों में आईएमडीजी संहिता कहा गया है) या परिसंकटमय माल के परिवहन पर संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अधीन यथानिर्दिष्ट परीक्षणों की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो।

9. अमोनियम नाइट्रेट के पैकेजों पर चिह्नांकन -

- (1) अमोनियम नाइट्रेट रखे प्रत्येक थैले या आधान पर स्पष्ट अमिट अक्षरों में मुद्रण या स्टाम्प लगाकर निम्नलिखित चिह्नांकित किया जाएगा-

 - (क) शब्द "अमोनियम नाइट्रेट";
 - (ख) शुद्धता प्रतिशत
 - (ग) विनिर्माता या संपरिवर्तक या आयातक का नाम, पता और अनुज्ञित संख्या;
 - (घ) पैकेज की पहचान संख्या या बार कोडिंग;
 - (ङ) अमोनियम नाइट्रेट का शुद्ध भार;
 - (च) पैकेज का सकल भार;
 - (छ) पेटी में बंद करने की तारीख और बैच संख्या;
 - (ज) नौभरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता, अनुज्ञित संख्या और विशिष्ट पहचान संख्या।

- (2) थैलों पर विनिर्माता या आयातक द्वारा मुख्य नियंत्रक के निदेश के अनुसार आरएफआईडी टैग या किसी अन्य उपाय से स्टैसिलिंग, बार कोडिंग से पेटी बंद करने की तारीख के साथ क्रम संख्या अंकित की जाएगी।

10. हथालन के दौरान बिखरी सामग्री एकत्रित करना - यदि अमोनियम नाइट्रेट की हथालन प्रक्रिया के दौरान किसी अवस्था में कुछ सामग्री बिखर जाती है तो उसे ध्यानपूर्वक एकत्र करके पेटी में बंद करके रखा जाएगा

और उसका हिसाब रखा जाएगा। यदि बिखरी हुई सामग्री संदूषित नहीं हुई है तो उसे अतिशीघ्र उचित हिसाब रखने के बाद केवल एक अनुजप्ति धारक व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा।

11. दुर्घटना के विरुद्ध विशेष पूर्वावधानियाँ -

- (1) कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य नहीं करेगा या ऐसा कृत्य करने का प्रयास नहीं करेगा जिससे किसी स्थान में या उसके आस-पास दहन या विस्फोट कारित हो सके जहाँ अमोनियम नाइट्रेट विनिर्मित, संपरिवर्तित, पेटीबंद, भण्डारित या परिवहन किया जाता है।
- (2) अमोनियम नाइट्रेट को कब्जे में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और अमोनियम नाइट्रेट के आयात, निर्यात, विनिर्माण, संपरिवर्तन, पेटीबंद करने, विक्रय, परिवहन या उठाई-धराई का भारसाधक या संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति सभी समयों पर इन नियमों के उपबंधों और उनसे संबंधित अनुजप्ति की शर्तों का पालन करेगा तथा चोरियाँ और दहन या विस्फोट की दुर्घटनाओं को निवारित करने के लिए सभी सम्यक पूर्वावधानियाँ बरतेगा।
- (3) अमोनियम नाइट्रेट के भण्डारण के लिए प्रयोग किये जाने वाले परिसर का उपयोग उर्बरकों सहित किन्हीं अन्य सामग्रियों के भण्डारण के लिये नहीं किया जाएगा।
- (4) प्रत्येक व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन यथा प्रतिषिद्ध ऐसे किसी कृत्य को कारित करने से किसी अन्य व्यक्ति को निवारित करेगा।

12. अनधिकृत व्यक्तियों पर निर्बंधन, रक्षकों के लिए उपबंध और भण्डार गृह के लिए सुरक्षित दूरी-

- (1) अनुजप्ति धारक अपने स्वयं के खर्च पर भण्डार गृह में रखे अमोनियम नाइट्रेट की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करेगा।
- (2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए सुरक्षा गार्डों की संख्या उतनी होगी जितनी जिला प्राधिकारी पर्याप्त समझे।
- (3) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण या अमोनियम नाइट्रेट के गलन रूप को ठोस रूप में या विलोमतः संपरिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त परिसर और भण्डार गृह कम से कम दो मीटर ऊंची दीवार से घिरे होंगे और उसकी मजबूती और बनावट ऐसी होगी कि अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

(4) (क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में

- (i) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 4.5 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
- (ii) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 9 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 90 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
- (ख) भण्डार गृह विनिर्माण, संपरिवर्तन या विस्फोटक या नाइट्रोज़ेस ऑक्साइड विनिर्माण संयंत्रों की पेटीबंदकरण यूनिट के निकटवर्ती हो सकता है, किन्तु नियम 4 के उप-नियम (क) के खण्ड (i) और (ii) के उपबंधों का पालन किया जाएगा।

टिप्पणी: सुरक्षा दूरी की नाप भण्डार गृह के किनारे से की जाएगी।

(5) (क) भण्डार गृह

- (i) का निर्माण भूतल पर किया जाएगा जिसमें कोई बिचला तल्ला, ऊपरी तल या कोई बेसमेंट नहीं होगा;
- (ii) जिसका फर्श (कुर्सी) स्तर भूमि तल से पैतालीस सेण्टीमीटर ऊँचाई से कम नहीं होगा और जिसमें अच्छा रोशनदान होगा;
- (iii) जिसकी दीवारें इंट या पत्थर मोरटार, या कंकीट से बनी कम से कम 23 सेण्टीमीटर मोटी होंगी और उसकी छत आरसीसी या एसबैस्टस या फाइबर या जीआई शीट से बनी होंगी;
- (iv) जिसके दरवाजों की पर्याप्त सख्त्या होगी जो न्यूनतम तीन मिलीमीटर मोटी स्टील से बने होंगे और बाहर की ओर खुलते होंगे;

(ख) उप-खण्ड (iii) में किसी बात के होते हुए भी नौभारिक का भण्डार गृह पार्श्व दीवारों के बगेर शैड में हो सकता है।

(6) अमोनियम नाइट्रेट को विक्रय के लिए कब्जे में रखने या उपयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए प्रयुक्त भण्डार गृह का फर्श क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर प्रति मैट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट से कम नहीं होगा और भण्डार गृह की कुल धारण क्षमता 5000 मैट्रिक टन के भण्डारण से अधिक नहीं होगी:

परन्तु पेटीबंद अमोनियम नाइट्रेट का एक ढेर 200 मैट्रिक टन से अधिक का नहीं होगा और समीपवर्ती ढेरों के बीच न्यूनतम दो मीटर का फासला रखा जाएगा और ढेरों तथा भण्डार गृह की दीवारों के बीच कम से कम 0.6 मीटर चौड़ा मार्ग रखा जाएगा।

परन्तु और यह कि ढेर की अधिकतम ऊँचाई फर्श स्तर से 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसे भण्डार गृह की दीवारों पर मोटे अक्षरों में चिह्नांकित किया जाएगा।

(7) भण्डार गृह को आईएस 2309 के अनुसार प्रकाश से संरक्षित किया जाएगा।

(8) अमोनियम नाइट्रेट गलन के भण्डारण के लिए बना भण्डारण हौद-

(i) स्वस्थ इंजीनियरी परिपाठी के अनुसार स्टेनलेस स्टील या किसी अन्य अनुकूल सामग्री से निर्मित होगा जो

- मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संहिता के अनुरूप होगा और पर्याप्त रूप से इंसूलेटिड और अनलंबित होगा ताकि अमोनियम नाइट्रेट गलन को ऐसे भण्डारण हौद में या उससे लदाई-उत्तराई के दौरान सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके;
- (ii) उसके साथ डाइक घेरा के रूप में एक और हौद होगा जो सिमेंट कंक्रीट का बना होगा और उसकी धारण क्षमता ऐसे घेरे के भीतर बने सबसे बड़े हौद की क्षमता से कम नहीं होगी;
 - (iii) चारदीवारी और संयत्र सुविधा के भीतर 4.5 मीटर की और अन्य संरक्षित संकर्मों से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
 - (iv) एकल भण्डारण हौद क्षमता 200 मैट्रिक टन से अधिक नहीं होगी; और
 - (v) इसके समीप चढ़ाई-उत्तराई के लिए एक उपयुक्त मजबूत स्टैण्ड की व्यवस्था रखी जाएगी और ऐसे मजबूत स्टैण्ड को इस प्रकार रखा जाएगा कि इसका मध्य भाग चारों तरफ से न्यूनतम 4.5 मीटर की सुरक्षा दूरी पर रहे।

13. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध- कोई भी व्यक्ति-

- (i) इन नियमों के अधीन दिये गए किसी आवेदन या कथन में असत्य या भ्रामक सूचना या घोषणा नहीं प्रदान करेगा; या
- (ii) इन नियमों के अधीन रखे जाने या अनुरक्षण के लिए अपेक्षित किसी लॉग बुक, दस्तावेज या अन्य रिकार्ड में किसी प्रविष्टि को असत्य नहीं बनाएगा, किसी प्रविष्टि को नहीं मिटाएगा, या उसमें प्रवंचनापूर्वक परिवर्तन नहीं करेगा; या
- (iii) इन नियमों के अधीन जारी किसी अनुज्ञित, या अन्य दस्तावेजों में फेर-बदल या परिवर्तन नहीं करेगा।

14. अभिलेखों का अनुरक्षण और विवरणियों को प्रस्तुत करना-

- (1) इन नियमों के अधीन अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, कब्जा, विक्रय, उपयोग, परिवहन, आयात या निर्यात के लिए प्रदान की गई अनुज्ञित को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही, पहचान और खोज-खबर सुनिश्चित करने के लिए रिकार्ड रखेगा और नियम 50 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माँगे जाने पर उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (2) अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में स्टॉक बहियों का पृष्ठ संख्यांकन किया जाएगा और उसे इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और उसे, किसी प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देश न दिये जाने पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
- (3) अनुज्ञित धारक अनुसूची 2 के भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में विनिर्मित, संपरिवर्तित, नौभारित, प्राप्त, विक्रय या परिवहन ग्रंथ प्रयोग या नष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मासिक विवरणी अनुज्ञित जारीकर्ता प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा ताकि वह उपरोक्त प्राधिकारियों के पास प्रत्येक अनुवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पहले पहुँच जाए।

(4) अनुजप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी या केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित किये जाने पर अनुजप्ति धारक अभिलेखों का रखरखाव, लेन-देन और फाइल विवरणियों की प्रस्तुति इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से करेगा।

अध्याय 3

अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, कब्जा, विक्रय और उपयोग से संबंधित उपबंध

15. सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना -

(1) अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, पेटीबंद करने, कब्जा, विक्रय या उपयोग, परिवहन, आयात या निर्यात का इच्छुक व्यक्ति अनुजप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी और जिला प्राधिकारी को पुलिस प्राधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से विधिक्षा किए गए संरक्षा पहलुओं के साथ सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित योजना में निम्नलिखित सुरक्षा और संरक्षा पहलू शामिल होंगे, अर्थातः-

- (क) सौंपा गया उत्तरदायित्व और संगठनात्मक ढाँचा;
- (ख) परिसंकट की पहचान, खतरे का मूल्यांकन और नियंत्रण;
- (ग) कार्य बल, ठेकेदारों और आगन्तुकों के लिए सूचना, शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान;
- (घ) दुर्घटना की रिपोर्ट करना और उसकी छानबीन करना;
- (ङ) आपातिक कार्रवाई योजना और तैयारी जैसे प्रथमोपचार, वर्ष में एक बार आपातिक योजना का परीक्षण;
- (च) आपदा प्रबंधन योजना और बच निकलने के रास्तों की पहचान, कार्यकलापों से जुड़े संरक्षा खतरों की पहचान और उनका मूल्यांकन; निष्क्रमण योजना, समुचित अग्निशमन नियंत्रण;
- (छ) प्राधिकृत कार्यकलापों के संचालन और अमोनियम नाइट्रेट को संरक्षित रखने के संबंध में अनुजप्ति धारक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं;
- (ज) संचय और उपकरण से संबंधित अनुसूचियों का अनुरक्षण;
- (झ) मानक संचालन प्रक्रिया;
- (ञ) कार्य के लिए कार्मिकों की सक्षमता;
- (ट) निगरानी की प्रकृति;
- (ठ) प्रलेखन और रिकार्ड रखना ताकि अमोनियम नाइट्रेट की जबाबदेही, पहचान और खोज-खबर सुनिश्चित की जा सके; भण्डार गृह के लिए संरक्षा प्रबंध, अमोनियम नाइट्रेट गलन रखने के लिए कंटेनर, वाहन द्वारा अमोनियम नाइट्रेट का यान, अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन और उसकी उठाई-धराई के दौरान सुरक्षा; अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुँच नियंत्रित और अवरुद्ध करने के लिए तंत्र; योजना या कार्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपना।

(3) विनिर्माण कारखाना में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, उठाई-धराई, परिवहन और भण्डारण के दौरान आवधिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा और संरक्षा पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाएगा और ऐसे प्रशिक्षण का कारखाना में रिकार्ड रखा जाएगा ।

अध्याय 4

अमोनियम नाइट्रेट के आयात और निर्यात से संबंधित उपबंध

सामान्य

16. सड़क मार्ग द्वारा आयात या निर्यात - प्रत्येक मामले में केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सड़क मार्ग द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के आयात या निर्यात के लिए अनुजप्ति नहीं दी जाएगी, जिसमें केन्द्रीय सरकार मुख्य नियंत्रक के परामर्श से शर्तें और प्रतिबंध अधिरोपित कर सकती हैं ।

17. पत्तन नियमों का अनुपालन - अधिसूचित पत्तनों पर अमोनियम नाइट्रेट की उठाई-धराई को विनियमित करने वाले अधिनियम और संबंधित पत्तन नियमों के अधीन जारी किए गए नियमों और उपविधियों का अनुपालन किया जाएगा ।

18. अमोनियम नाइट्रेट का आयात-

(1) अमोनियम नाइट्रेट का आयात अधिमान्यतः पैटीबंद रूप में किया जाएगा और जब अमोनियम नाइट्रेट का आयात थोक में किया जा रहा हो, तो उसे इन नियमों के अधीन विधिमान्य अनुजप्ति धारक और आयातक द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत नौभरण अभिकरण द्वारा पैटीबंद या पैक किया जाएगा ।

(2) नौभरण अभिकर्ता प्राप्त किए गए और प्रत्येक आयातक को प्रेषित किए गए अमोनियम नाइट्रेट का अभिलेख रखेगा ताकि जवाबदेही, पहचान और खोज-खबर और विवरणी प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित हो सके ।

(3) आयात किये गए अमोनियम नाइट्रेट को तत्काल पत्तन से निकालकर नौभारिक के अनुजप्त भण्डार गृह में ले जाया जाएगा । नौभारिक के भण्डार गृह से अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण केवल पैटीबंद रूप में किया जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट की प्रत्येक पैटी को नौभारिक अभिकर्ता द्वारा नियम 9 के अनुसार चिह्नाकित किया जाएगा ।

(4) आयातक द्वारा घोषणा - इन नियमों के अधीन प्रदान की गई आयात अनुजप्ति धारक व्यक्ति अनुजापन प्राधिकारी और मुख्य नियंत्रक को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा-

(क) जैसे ही चढ़ाई के पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट की ठुलाई करने वाले पोत की जलयात्रा शुरू की जाए, अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्ररूप द-3 में;

(ख) जैसे ही अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले किसी पोत को आयात के पत्तन से अनापत्ति प्राप्त हो, अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्ररूप द-4 में;

(5) पोत के स्वामी या पोत के अभिकर्ता द्वारा घोषणा-

(क) अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी या ऐसे पोत का अभिकर्ता पत्तन पर अपने इच्छित आगमन के बारे में पत्तन के संरक्षक को कम से कम अड़तालीस घण्टे का नोटिस देगा;

(ख) अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले प्रत्येक पोत का स्वामी किसी पत्तन में प्रवेश करने से पहले पायलट को अनुसूची 2 के भाग 4 के अधीन प्ररूप गड-1 में एक लिखित घोषणा देगा, परन्तु यदि पोत के आगमन की प्रत्याशा में ऐसे पोत का अभिकर्ता पत्तन के संरक्षक को अपने हस्ताक्षर से यथोक्त घोषणा प्रदान करता है तो पोत के स्वामी द्वारा ऐसी घोषणा प्रदान किए जाने की जरूरत नहीं होगी ।

(ग) उप-नियम (5) के खण्ड (ख) के अधीन पायलट को दी गई प्रत्येक घोषणा उसके द्वारा अविलंब पत्तन के संरक्षक को प्रदान कर दी जाएगी और पत्तन के संरक्षक द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक घोषणा उसके द्वारा अपनी सुविधानुसार सीमा-शुल्क आयुक्त को प्रेषित की जाएगी ।

(6) हवाई जहाज द्वारा आयात पर प्रतिबंध- अमोनियम नाइट्रेट का आयात हवाई जहाज द्वारा नहीं किया जाएगा ।

19. अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात-

(1) हवाई जहाज द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध- अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात हवाई जहाज द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(2) निर्यातक या उसके अभिकर्ता द्वारा घोषणा- निर्यातक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता अड़तालीस घण्टे पहले पत्तन के संरक्षक को यह नोटिस देगा कि वह निर्यात के लिए अमोनियम नाइट्रेट को पत्तन पर लाने का

इच्छुक है और उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में पूर्व अनुमति दिए बगैर पत्तन के किसी हिस्से में अमोनियम नाइट्रेट नहीं लाएगा ।

(3) अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात केवल पेटीबंद रूप में किया जाएगा जिसे नियम 9 के उपबंधों के अनुसार चिह्नांकित किया गया होगा ।

अध्याय 5

अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन से संबंधित उपबंध

सामान्य

20. परिवहन के दौरान अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया-

(1) परिवहन किए जा रहे अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन की प्रत्येक खेप के साथ परिवहन के दौरान अनुसूची 2 के भाग 3 के प्ररूप द-11(ख) में प्रेषक द्वारा जारी एक पास होगा ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पास यथास्थिति वे-बिल, इन्वाइस या प्रवेश बिल या प्रेषण टिप्पण के साथ सलग्न किया गया होगा ।

(3) प्रेषक द्वारा अनुसूची 2 के भाग 3 के प्ररूप द-11(क) में कम से कम चौबीस घण्टे पहले प्रेषण स्थल के जिला पुलिस अधीक्षक और साथ ही प्राप्ति स्थल के जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाएगा ।

(4) उप-नियम (1) के अधीन जारी प्रत्येक पास की एक प्रति प्रेषक द्वारा तत्काल निम्नलिखित को भेजी जाएगी-

(क) प्रेषक को अनुजप्ति जारी करने वाला अनुजापन प्राधिकारी;

(ख) प्रेषण स्थल की अधिकारिता रखने वाला जिला प्राधिकारी;

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक जिसके अधिकारक्षेत्र में वह स्थान स्थित है जहाँ से खेप भेजी जा रही है; और

(घ) जिला पुलिस अधीक्षक जिसके अधिकारक्षेत्र में वह स्थान स्थित है जहाँ पर खेप भेजी जा रही है ।

21. सामान्य अपेक्षाएं और परिवहन के दौरान उपलब्ध रहने वाले दस्तावेज-

(1) अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन का परिवहन केवल उन्हीं प्रेषकों द्वारा किया जाएगा जो प्रूफ त-4 में विधिमान्य अनुजप्ति के धारक हैं।

(2) अमोनियम नाइट्रेट गलन के परिवहन के लिए टैंकर का निर्माण- (i) जंगरोधी इस्पात या किसी अन्य अनुकूल सामग्री से किया गया होगा और उसे मुख्य नियंत्रक को स्वीकार्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संहिता के अनुरूप स्वस्थ इंजीनियरी परिपाठी के अनुसार उचित और पर्याप्त ढंग से ऊष्मारोधी बनाया गया होगा और एक यान चेसिस के ऊपर सुरक्षित या आलंबित किया गया होगा ताकि परिवहन के दौरान पूरी सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो सके;

(ii) ऐसे अमोनियम नाइट्रेट गलन टैंकर की सकल वहन क्षमता ऐसे यान के लिए सड़क परिवहन प्राधिकारी द्वारा विहित अधिकतम भार सीमा से अधिक नहीं होगी;

(iii) यानों के प्रवेश और निकास कपाट ऐसी बनावट और ऐसे ढाँचे के होंगे कि उन्हें सुरक्षित ढंग से लॉक और सील किया जा सके; और

(iv) छिद्र पाइप उचित ढंग से ढँके गए होंगे ताकि उत्पाद का रिसाव न होने पाए।

(3) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन परिसंकटमय सामग्री सहित किसी अन्य सामग्री के साथ नहीं किया जाएगा।

(4) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन सम्यक रूप से सुरक्षित मोटर यान या पशुचालित यान में किया जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाले वाहन को चारों ओर से तिरपाल की परतों से ढंक कर रस्से से उचित और सुरक्षित ढंग से बॉथा जाएगा और उस पर परिवहन अनुजप्ति धारक की सील लगाई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक या उसके किसी परिचर के कब्जे में निम्नलिखित दस्तावेज परिवहन के दौरान रहे, अर्थात्:-

(क) परेषिती द्वारा जारी 'अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्रूफ द-10 में मॉगपत्र की प्रति;

(ख) प्रेषक द्वारा जारी अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्रूफ द-11(ख) में परिवहन पास की प्रति;

(ग) बिल या परिवहन किए जा रहे अमोनियम नाइट्रेट के प्रवेश के बिल की मूल प्रति।

(5) उप-नियम (4) में उल्लिखित दस्तावेजों को नियम 50 के अधीन सशक्त प्राधिकारी द्वारा मॉगे जाने पर ट्रांस्पोर्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) प्रेषक घोषित गंतव्य पर परेषिती के भण्डार गृह में अमोनियम नाइट्रेट के खेप की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगा और परेषिती द्वारा सम्यक रूप से प्रारूप द-11(ख) में दी गई पावती प्रेषक द्वारा अभिलेख के रूप में रखी जाएगी।

(7) परिवहन के लिए अमोनियम नाइट्रेट को भारिक तक भेजा जाना-

(क) कोई व्यक्ति परिवहन के प्रयोजन से भारतीय रेल या उसके प्राधिकृत भारिक के सिवाए किसी भारिक को कोई अमोनियम नाइट्रेट प्रेषित नहीं करेगा ।

(ख) कोई व्यक्ति परिवहन के प्रयोजन से भारतीय रेल या उसके प्राधिकृत भारिक को कोई अमोनियम नाइट्रेट तब तक प्रेषित नहीं करेगा जब तक कि उसने लिखित में निम्नलिखित का एक नोटिस स्टेशन मास्टर को न दिया गया हो -

(1) ऐसे अमोनियम नाइट्रेट को टैंडर करने का उसका आशय;

(2) यह प्रमाण-पत्र कि अमोनियम नाइट्रेट को पैक किया गया है और नियम 8 और 9 के अनुसार चिह्नांकित किया गया है;

(3) यह उल्लेख कि परिवहन किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की मात्र कितनी है;

(4) यह उल्लेख कि उसने स्टेशन मास्टर से लिखित में एक उत्तर और सूचना प्राप्त की है कि वह अमोनियम नाइट्रेट को तत्काल प्रेषित करने के लिए प्राप्त करने को तैयार है ।

(5) यह उल्लेख कि उसने परेषिती से इन नियमों के अधीन यथा प्राधिकृत अमोनियम नाइट्रेट को प्राप्त करने की तत्परता की पुष्टि प्राप्त कर ली है ।

(ग) कोई व्यक्ति किसी अमोनियम नाइट्रेट को किसी रेल से नहीं लाएगा, भेजेगा या अग्रेषित करेगा जिसे भारतीय रेल ने तत्समय प्रवृत्त विनियमन के नोटिस द्वारा उसे प्राप्त न किए जाने के लिए अधिसूचित किया हो ।

22. अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन में विनियोजित यान का चढ़ाई, उतराई, रखरखाव, और संचालन-

(1) अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन में विनियोजित यानों में केवल ऐसे चालकों या क्लीनरों को रखा जाएगा, जिनके पूर्ववृत्त का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया हो और ऐसे चालकों और क्लीनरों के पूर्ण वैयक्तिक व्यांग सहित एक सूची स्थानीय पुलिस को सत्यापन करने के लिए पहले से उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे चालकों और क्लीनरों का पुनर्सत्यापन नियमित अंतराल में, पाँच वर्ष में एक बार, किया जाएगा ।

(2) अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे यान के साथ कम से कम दो शारीरिक रूप से समर्थ रक्षक रहेंगे ।

(3) अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे या अमोनियम नाइट्रेट से भरे यान का चालक या ऑपरेटर औचित्यपूर्ण अपीक्षा से अधिक अवधि के लिए उक्त यान को नहीं ठहराएगा और जिन स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो वहाँ उसे ठहराने से परहेज करेगा:

परन्तु जहाँ रात में चालक के नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे या अमोनियम नाइट्रेट से भरे यान को ठहराना पड़े, तो जिस परिसर में यान को ठहराया जाए वह-

(क) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जिसमें अग्नि, माचिस या किसी ऐसे सामान या वस्तु का होना संभव हो जिससे वहाँ विस्फोट हो जाने या आग लग जाने की संभावना उत्पन्न हो सके; और

(ख) किसी आवास या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुएं या अन्य परिसंकटमय सामग्री रखे किसी गोदाम से दूर स्थित होगा और ऐसे अस्थायी ठहराव के स्थान के बारे में निकटतम पुलिस थाने को सूचित किया जाएगा ।

(4) अमोनियम नाइट्रेट को ढोते समय यान को अनुजप्ति धारक के खर्च पर पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा और यदि अमोनियम नाइट्रेट की खेप को गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरने की संभावना है तो उसे जिला पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए सशस्त्र पुलिस एस्कार्ट या रक्षकों की देखरेख में रखा जाएगा ।

(5) अमोनियम नाइट्रेट गलन का परिवहन गलन टैंकर में किया जाएगा जिसके निकास टॉटी और प्रवेश-छिद्र गलन आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सम्यक रूप से सील किये गये होंगे और गलन आपूर्तिकर्ता फर्म अमोनियम नाइट्रेट गलन के सांद्रण घटक को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(6) परेषिती यह सत्यापित करेगा कि अमोनियम नाइट्रेट गलन का सांद्रण घटक इनवाइस में विनिर्दिष्ट किये गये रूप में ही है और कि गलन हौद पर लगी सील अविकल है ।

(7) गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में सूर्योस्त से सूर्योदय की अवधि के दौरान अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन की अनुमति नहीं होगी । अमोनियम नाइट्रेट के संचलन और उदगम स्थान की विशिष्टियाँ और परेषण स्थल की सूचना लिखित में संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को दी जाएगी ।

(8) अग्निशामक दमकल की व्यवस्था-

- (क) अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन करने वाले प्रत्येक यान में न्यूनतम पाँच किलोग्राम की क्षमता वाले दो अग्निशामक दमकल की व्यवस्था की जाएगी और उनमें से एक अग्निशामक दमकल इलैक्ट्रिक सर्किट से लगी आग से और दूसरा अन्य ज्वलनशील तत्वों से निपट पाने की क्षमता वाला होगा।
- (ख) अग्निशामक दमकल सदैव अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा।
- (ग) अग्निशामक दमकल को ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहाँ उसे तत्काल उपयोग के लिए सुविधाजनक और तैयार पाया जा सके।
- (घ) अग्निशामक दमकल को जाँचा जाएगा और विनिर्माता की सिफारिशों के अनुसार रिचार्ज किया जाएगा।

23. यान की दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रक्रिया-

(1) जहाँ अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे यान के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, उसमें आग लग जाती है या कोई ऐसी घटना घटती है जिससे अमोनियम नाइट्रेट की सुपुर्दगी में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है या यान या अमोनियम नाइट्रेट को नुकसान पहुँचता है, वहाँ चालक या यान के साथ चल रहा कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति-

- (क) सड़क दुर्घटना से संबंधित कानून की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा;
- (ख) निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा; और
- (ग) परिवहन अनुजप्ति धारण करने वाले अनुजप्ति धारी को सूचित करेगा जो उस जिला प्राधिकारी, जिसके अधिकारिता में दुर्घटना घटी, को ढोए जा रहे अमोनियम नाइट्रेट के पूरे व्यौरे और दुर्घटना की सूचना देगा;

(2) अमोनियम नाइट्रेट को ढो रहे यान के खराब हो जाने की स्थिति में चालक या यान का भारसाधक व्यक्ति अनुजप्ति धारी को सूचित करेगा जो उसके बाद उस जिला प्राधिकारी और निकटतम पुलिस स्टेशन, जिसके अधिकारिता में यान खराब हुआ, को अमोनियम नाइट्रेट के पूरे व्यौरे और यान खराब हो जाने की परिस्थितियों के बारे में सूचित करेगा।

24. नियम 20, 21, 22 और 23 में अंतर्विष्ट कोई बात इन नियमों के अधीन परमिट किये गये/ विधिमान्य अनुजप्ति धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा 50 किलोग्राम से अनधिक मात्रा में कब्जे में रखे गये/क्रय किये गये ठोस अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के संबंध में लागू नहीं होगी।

अध्याय 6

अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे, विक्रय और उपयोग के लिए उपबंध

25. अनुजप्त परिसरों में कब्जा-

- (1) अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुजप्ति का धारक कोई व्यक्ति केवल अनुजप्ति में विनिर्दिष्ट परिसरों में अमोनियम नाइट्रेट को भण्डारित करेगा।

(2) जिन परिसरों में अमोनियम नाइट्रेट को रखा जाएगा उनका उपयोग केवल ऐसे अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे और विक्रय या उपयोग के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

(3) कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुजप्त परिसरों से ही अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय करेगा किसी भी अन्य परिसर से नहीं।

(4) अनुजप्त भण्डार गृह तब के सिवाए जब उसमें अमोनियम नाइट्रेट रखा जा रहा हो या उससे अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकाला जा रहा हो संरक्षित ढंग से बंद या तालाबंद रखा जाएगा।

(5) अनुजप्त भण्डार गृह की चाबियाँ अनुजप्ति धारक की या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाएंगी और निरीक्षण अधिकारी द्वारा जब कभी अपेक्षा की जाए भण्डार गृह खोले जाने के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

(6) जिस प्राधिकृत अभिकर्ता के पास चाबियाँ रखी जाएंगी उसका नाम, पता और पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ अनुजापन प्राधिकारी और अधिकारिता वाले जिला प्राधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे।

26. किसी दी गई समयावधि में क्रय किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा- किसी भण्डार गृह में और उससे अमोनियम नाइट्रेट के कब्जे, विक्रय या उपयोग के लिए कोई अनुजप्ति धारक किसी दी गई समयावधि में केवल उतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का क्रय करेगा जितनी अनुजप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए।

27. अमोनियम नाइट्रेट की जवाबदेही और उसका संव्यवहार-

(1) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई सभी अनुजप्तियों पर अनुजप्ति धारी या अधिष्ठाता के फोटोग्राफ होंगे।

(2) अमोनियम नाइट्रेट के क्रय और संव्यवहार के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनाई जाएगी-

(क) अमोनियम नाइट्रेट की आपूर्ति के लिए अनुसूची 2 के भाग 3 के अधीन प्ररूप द-10 में अनुजप्ति धारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गये मॉगपत्र को आपूर्तिकर्ता को सौंपा जाएगा;

(ख) अनुजप्ति धारी या अधिष्ठाता के फोटोग्राफ और नमूना हस्ताक्षर अमोनियम नाइट्रेट के आपूर्तिकर्ता के पास दर्ज कराए जाएंगे;

(ग) अनुजप्ति धारक या अधिष्ठाता द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित अनुजप्ति धारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के फोटोग्राफ, नमूना हस्ताक्षर और पता अमोनियम नाइट्रेट के आपूर्तिकर्ता के पास दर्ज कराए जाएंगे।

(3) अनुजप्ति धारी केवल ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेगा, जिसके पूर्ववृत्त का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया हो और ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधियों की पूर्ण व्यक्तिगत विशिष्टियों सहित एक सूची स्थानीय पुलिस को सत्यापन करने के लिए पहले से उपलब्ध कराई जाएगी और ऐसे प्रतिनिधियों का पुनर्सत्यापन नियमित अंतराल में, अधिमान्यतः पाँच वर्ष में एक बार, किया जाएगा।

(4) अमोनियम नाइट्रेट का परेषक परिदान करने से पहले प्रतिनिधि के फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का सत्यापन करेगा ।

(5) इन नियमों में उल्लिखित प्राधिकृत प्रतिनिधि केवल एक अनुजप्ति धारी का प्रतिनिधित्व करेगा ।

अध्याय 7

अनुमोदन, अनुजप्ति, संशोधन, अन्तरण और नवीनीकरण का प्रदान किया जाना या उसे नामंजूर करना

28. अनुजप्ति जारी करने वाला प्राधिकारी -

विशेष प्रयोजनों के लिए अनुजप्तियाँ अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं ।

29. फीस का भुगतान- (1) पूर्व अनुमोदन, अनुजप्तियाँ जारी करने और संशोधन के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी, अर्थातः-

(क) पूर्व अनुमोदन के लिए संवीक्षा फीस - रु.1000/-

(ख) अमोनियम नाइट्रेट के क्रय के लिए विनिर्माण और कब्जा या गलन ठोस रूप में और विलोमतः संपरिवर्तन और भण्डार गृह से विक्रय के लिए कब्जा के लिए अनुजप्ति - रु.20,000/-वार्षिक

(ग) भण्डार गृह से अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय के लिए कब्जा के लिए अनुजप्ति - रु.2000/-वार्षिक

(घ) भण्डार गृह से अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग के लिए कब्जा के लिए अनुजप्ति - रु.2000/-वार्षिक

(ड) अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए अनुजप्ति - रु.5000/-

(च) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए अनुजप्ति - रु.5000/-

(छ) अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण, पेटीबंद करने और भण्डारण के लिए अनुजप्ति - रु.20,000/-

(ज) अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुजप्ति - रु.2000/-वार्षिक

(झ) अनुजप्ति का संशोधन - रु.1000/-

(ज) किसी अनुजप्ति की अनुलिपि - रु.100/-

(2) जब अनुजप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक है तो देय फीस का भुगतान रेखांकित बैंक ड्राफ्ट या वैद्युत माध्यम के रूप में किया जाएगा और जब अनुजप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी जिला प्राधिकारी है तो देय फीस का भुगतान उस ढंग से किया जाएगा जैसे वह विनिर्दिष्ट करे ।

(3) जब अनुजप्ति 31 मार्च को समाप्त होने वाले एक से अधिक वित्तीय वर्ष के लिए चाहा गया हो तो उपरोक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट दर से वित्तीय वर्षों की वांछित संख्या के लिए फीस देय होगी ।

30. निर्माण से पहले पूर्व अनुमोदन की सुविधाएं-

(1) इन नियमों के अधीन अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए कब्जे में रखने या उपयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए भण्डार गृह के लिए अनुजप्ति प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति नियम 33 में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके ऐसी अनुजप्ति प्रदान करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(2) पूर्व अनुमोदन प्रदान करते समय जिला मजिस्ट्रेट अनुमोदन के साथ-साथ नियम 12 में किये गये विनिर्देश के अनुसार अपेक्षित स्पष्ट दूरी दर्शाने वाली योजना का एक सेट सम्यक रूप से पृष्ठांकित करके आवेदक को वापस करेगा।

(3) पूर्व अनुमोदन प्रदान करते समय मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक नियम 12 में किये गये विनिर्देश के अनुसार भीतर और आस-पास अपेक्षित स्पष्ट दूरी दर्शाने वाली योजना का एक सेट सम्यक रूप से पृष्ठांकित करके आवेदक को वापस करेगा और उसके साथ उक्त दस्तावेज का एक अतिरिक्त सेट देगा ताकि आवेदक उसे नियम 33 के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

टिप्पणी: इन नियमों के अधीन अनुजप्ति प्राप्त करने के लिए इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विद्यमान अमोनियम नाइट्रेट की सुविधाओं के लिए उप नियम (1) के अधीन पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

31. अनुजप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन - नियम 30 के अधीन अनुमोदित योजना के अनुसार परिसर के संनिर्माण के बाद आवेदक नियम 32 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ अनुजप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन उस प्राधिकारी को करेगा जो ऐसी अनुजप्ति प्रदान करने के लिए सशक्त है।

32. अनुजप्ति की विधिमान्यता की अवधि- अनुज्ञापन प्राधिकारी, आयात और निर्यात के लिए अनुजप्ति को छोड़कर, जिसके लिए यह अवधि एक वर्ष होगी, सभी प्रयोजनों के लिए पाँच वित्तीय वर्षों, जो 31 मार्च को समाप्त होते हों, से अनधिक अवधि के लिए या उसके अंश के लिए अनुजप्ति प्रदान कर सकता है,

33. अनुमोदन या अनुजप्ति की माँग के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज-

(1) अनुजप्ति के लिए प्रस्तावित परिसर के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्-

- (क) अनुसूची 2 के भाग-1 के अनुसार समुचित प्ररूप में आवेदन ।
- (ख) नियम 15 के अधीन यथा अपेक्षित तैयार की गई सुरक्षा और संरक्षा प्रबंधन योजना ।
- (ग) प्रस्तावित भण्डार गृह और उससे जुड़ी सुविधाओं के खाँके और स्थान जिसमें आस-पास बने सभी संरक्षित संकर्म के साथ पहुँच मार्ग को दर्शाया गया हो, के तीन सेट ।
- (घ) कम्पनी या भागीदारी फर्म या सोसाइटी के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें यथास्थिति निदेशकों या भागीदारों या पदाधिकारियों की सूची भी शामिल हो और साथ ही प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नामांकन और उनके नमूना हस्ताक्षर भी हों ।
- (ङ) अधिष्ठाता के पासपोर्ट आकार के छह फोटोग्राफ जिसके ऊपर उसने अपने हस्ताक्षर किये हों और साथ ही अधिष्ठाता के रूप में नामांकन का दस्तावेजी साक्ष्य ।
- (च) नियम 29 में यथा विनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस ।

(2) अनुजप्ति प्रदान किये जाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्-

- (क) अनुसूची 2 के भाग-1 के अनुसार समुचित प्ररूप में आवेदन ।
- (ख) उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन अनुमोदित खाँके के छह सेट ।
- (ग) अमोनियम नाइट्रेट की उठाई-धराई के लिए नियोजित व्यक्तियों की विशिष्टियाँ, उनकी अहता और अनुभव । आवेदक उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा ।
- (घ) चार्टरित अभियता द्वारा सम्यक रूप से पृष्ठांकित भण्डार गृह और उससे जुड़ी सुविधाओं के कार्य समापन का प्रमाण-पत्र ।
- (ङ) जहाँ जिला प्राधिकारी अनुजप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी नहीं है, संबंधित जिला प्राधिकारी की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति और उसके साथ सम्यक रूप से पृष्ठांकित खाँके ।
- (च) नियम 29 में यथा विहित अपेक्षित अनुजप्ति फीस ।

34. जिला प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने और अनुजप्ति प्रदान किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया -

(1) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक से अनुजप्ति प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक नियम 30 के उप नियम (3) के अधीन अनुमोदित खँके के सेट के साथ जिला प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन करेगा कि प्रस्तावित स्थल के लिए आवेदक को अनुजप्ति प्राप्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(2) (क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने या अनुजप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर जिला प्राधिकारी आवेदक के पूर्ववृत्त, स्थल का विधिमान्य कब्जा, प्रयोजन की असलीयत, जनता के हित और आवश्यक समझे गए किसी अन्य विषय का सत्यापन करेगा और यथास्थिति, कोई अन्य सत्यापन या पूछताछ भी करेगा जिसे करने के लिए अनुजप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी विशेष रूप से अपेक्षा करे या आवश्यक समझे।
 (ख) यदि प्रस्तावित स्थल का क्षेत्र भारतीय खान अधिनियम, 1952 के अधीन आता है तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक प्राधिकारी होगा।

(3) जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा विनिर्माण या संपरिवर्तन/भण्डारण के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र या विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के दायरे में यदि वह स्थान शामिल है जहाँ ये कार्य पहले से विद्यमान हैं तो उसके लिए नए सिरे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं होगा।

(4) जिला प्राधिकारी तीन मास की अवधि के भीतर या यथाशक्य शीघ्र जाँच पूरी करेगा और ऐसा प्राधिकारी अपना समाधान कर लेने के बाद अनुसूची-2 के भाग-4 के प्ररूप ग-2 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा या यथास्थिति, अनुजप्ति प्रदान करेगा और साथ ही ऐसे प्राधिकारी द्वारा स्थल योजना पर सम्यक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और मुहर लगाई जाएगी।

(5) यदि यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रयोजन से संबंधित किसी आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए इंकार करता है तो केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना अनुजप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुजप्ति प्रदान की जाएगी अन्यथा नहीं।

(6) यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक अनापत्ति प्रमाण-पत्र या अनुजप्ति प्रदान करेगा या अनापत्ति प्रमाण-पत्र या यथास्थिति, अनुजप्ति प्रदान करने से अपने इंकार की सूचना लिखित में उसके कारणों के साथ यथाशक्य, शीघ्र देगा, किन्तु आवेदक से आवेदन प्राप्त करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर आवेदक को देगा।

35. अनुजप्ति प्रदान किया जाना-

- (1) अनुजप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में अनुजप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्राप्त दस्तावेजों से अपना समाधान कर लेने और ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, करने के बाद अधिनियम के अन्य प्रावधानों और इन नियमों के अध्यधीन, लिखित में आदेश पारित करके या तो अनुजप्ति प्रदान करेगा या उसे प्रदान करने से इंकार करेगा ।
- (2) प्ररूप त-4 में अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन के परिवहन के लिए अनुजप्ति केवल प्ररूप त-1, त-2, त-3 और त-5 में विधिमान्य अनुजप्ति धारकों को प्रदान की जाएगी ।
- (3) अनुजापन प्राधिकारी अनुजप्ति परिसर की सुविधाओं का सत्यापन करेगा और समाधान हो जाने पर अनुजप्ति को पृष्ठांकित करेगा ।
- (4) अनुजापन प्राधिकारी, अनुजप्ति के लिए अतिरिक्त शर्तें, यदि आवश्यक हो, अधिरोपित कर सकेगा ।
- (5) जिला प्राधिकारी, यदि अपेक्षित हो, कोई विशेषज्ञ राय अभिप्राप्त करने के लिए मुख्य नियंत्रक को निर्दिष्ट कर सकेगा ।

36. अनुजप्ति का नवीकरण-

- (1) ऐसी अनुजप्तियों के सिवाए जिन्हें अमोनियम नाइट्रेट के आयात और निर्यात के लिए प्रदान किया गया हो प्रत्येक अनुजप्ति 31 मार्च को समाप्त होने वाले पाँच वित्त वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए नवीकरणीय होगी ।
- (2) अनुजप्ति के नवीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, अर्थातः-
 - (क) प्ररूप ट-1 में आवेदन;
 - (ख) मूल अनुजप्ति;
 - (ग) नियम 29 में यथा-विनिर्दिष्ट अपेक्षित नवीकरण शुल्क ।
- (3) अनुजप्ति का नवीकरण ऐसी अनुजप्ति प्रदान करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा; परन्तु मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रदान की गई अनुजप्ति का नवीकरण इस निमित्त मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किए गए नियंत्रक द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना किया जा सकता है ।

परन्तु यह और कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई अनुजप्ति का नवीकरण इस निमित्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किए गए उप-संभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना किया जा सकता है।

(4) अनुजप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन अनुजप्ति फीस के साथ ऐसे प्रस्तुत किया जाएगा कि वह अनुजापन प्राधिकारी या अनुजप्ति के नवीकरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी के पास उस तारीख से तीन मास पूर्व की तारीख (अर्थात् 31 दिसम्बर) या उससे पहले पहुँच जाए जिस तारीख को अनुजप्ति की विधिमान्यता समाप्त होती है।

परन्तु 31 दिसम्बर के बाद अनुजप्ति की विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख तक प्राप्त हुए आवेदन को विलम्ब से प्राप्त आवेदन समझा जाएगा और तब अनुजप्ति का नवीकरण एक वर्ष के अनुजप्ति फीस के बराबर विलम्ब फीस का भुगतान प्राप्त करने पर किया जाएगा।

(5) यदि अनुजप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन अनुजापन या नवीकरण प्राधिकारी के पास अनुजप्ति की विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख या उससे पहले पहुँचता है तो अनुजप्ति को उस तारीख तक प्रभाव में समझा जाएगा जब तक अनुजापन प्राधिकारी अनुजप्ति का नवीकरण नहीं करता है या जब तक आवेदक को यह सूचना नहीं दी जाती है कि अनुजप्ति के नवीकरण से इंकार किया गया है और यदि अनुजप्ति की विधिमान्यता की तारीख तक उसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता तो अनुजप्ति की विधिमान्यता समाप्त हो जाएगी।

(6) प्रत्येक वर्ष के लिए अनुजप्ति के नवीकरण के लिए वहीं फीस प्रभारित की जाएगी जो उस प्रदान करने के लिए प्रभारित की गई है।

(7) जहाँ एक से अधिक वित्त वर्षों के लिए नवीकृत कोई अनुजप्ति विधिमान्यता समाप्त होने से पहले अभ्यर्पित की जाती है, वहाँ अनुजप्ति की अवसान नहीं हुई अवधि वाली नवीनीकरण फीस अनुजप्ति धारी को लौटा दी जाएगी।

परन्तु जिस वित्त वर्ष के दौरान अनुजापन प्राधिकारी अभ्यर्पण हेतु नवीकृत अनुजप्ति प्राप्त करेगा उसकी नवीकरण फीस नहीं लौटाई जाएगी।

(8) यदि किसी अनुजप्ति का नवीकरण मुख्य नियंत्रक या किसी नियंत्रक द्वारा किया गया है तो इस आशय की सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और यदि अनुजप्ति का नवीकरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है तो उस आशय की सूचना संबंधित अधिकारिता वाले नियंत्रक को भेजी जाएगी।

37. परिसर या अनुज्ञापन हैसियत में अपवर्तन या परिवर्तन, किन्तु जिसमें अनुज्ञित धारक या भागीदारों या निदेशकों या सदस्यों के नाम का परिवर्तन अंतर्गत न हो, के संबंध में अनुज्ञित का संशोधन-

- (1) यदि संशोधन इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप हों तो अनुज्ञित प्रदान करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञित में संशोधन किया सकता है।

(2) अपनी अनुज्ञित का संशोधन कराने का इच्छुक अनुज्ञित धारक अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

- (क) अनुसूची 2 के भाग 1 के अनुसार समुचित प्ररूप में आवेदन जिसमें संशोधन की प्रकृति और उसके कारणों का उल्लेख किया गया हो;
- (ख) संलग्नकों के साथ मूल अनुज्ञित;
- (ग) प्रस्तावित संशोधन के ब्यौरे दर्शाने वाले आरेख यदि संशोधन के प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे आरेखों की अपेक्षा की जाए;
- (घ) नियम 29 में यथा विहित अपेक्षित संशोधन फीस।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के पश्चात, तथा ऐसी और जाँच करने और ऐसी कार्रवाई करने जैसी आवश्यक समझी जाए के पश्चात अनुज्ञित का संशोधन कर सकेगा।

38. भागीदारों या निदेशकों या सदस्यों या अधिष्ठाता के परिवर्तन के लिए प्रक्रिया - जब कभी किसी अनुज्ञित धारक यथास्थिति, भागीदारी फर्म या सोसाइटी या संगम या कम्पनी के नाम में परिवर्तन के बगैर ऐसी भागीदारी फर्म या सोसाइटी या संगम या कम्पनी में किसी नए भागीदार या सदस्य या निदेशक को सम्मिलित किया जाता है, तो अनुज्ञित धारक अनुज्ञित जारीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे नए सम्मिलित भागीदारों या सदस्यों या निदेशकों को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा-

- (क) अनुसूची 2 के भाग 1 के अनुसार समुचित प्ररूप में आवेदन जिसमें संशोधन की प्रकृति और उसके कारणों का उल्लेख किया गया हो;
- (ख) यथास्थिति, नए सम्मिलित निदेशकों या भागीदारों या पदाधिकारियों के नाम और पते; और यदि अधिष्ठाता को परिवर्तित किया जाता है तो नए अधिष्ठाता का फोटोग्राफ़;
- (ग) यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या पदाधिकारियों को सम्मिलित किए जाने सबैधी दस्तावेजी साक्ष्य और उनके नमूना हस्ताक्षर;

- (घ) नए अधिष्ठाता के छह पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ जिसके ऊपर उसने अपने हस्ताक्षर किए हों और अधिष्ठाता के रूप में नामांकन के दस्तावेजी साक्ष्य;
- (ङ) जिला प्राधिकारी से यथास्थिति, नए सम्मिलित निदेशकों या भागीदारों या पदाधिकारियों के पूर्ववृत्त के सत्यापन का प्रमाण-पत्र, जहाँ जिला प्राधिकारी अनुज्ञित जारीकर्ता प्राधिकारी नहीं हैं;
- (च) अनुलग्नकों के साथ मूल अनुज्ञित; और
- (छ) नियम 29 में यथा विहित अपेक्षित संशोधन फीस।

39. अनुज्ञित का अनुमोदन करने, उसे प्रदान किए जाने या उसका संशोधन करने से इंकार-

अनुज्ञित का संशोधन करने सहित उसके लिए अनुमोदन करने या उसे प्रदान करने से इंकार करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे इंकार के कारणों को लिखित में अभिलेख करेगा और उसकी सूचना आवेदक को देगा और ऐसे इंकार से पहले, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

40. अनुज्ञित का नवीकरण करने से इंकार-

- (1) अनुज्ञित का नवीकरण करने से इंकार करने वाला अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे इंकार के कारणों को लिखित में अभिलेख करेगा।
- (2) यदि अधिनियम या इन नियमों के अनुसार किसी अनुज्ञित को रद्द किया जा सकता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञित का नवीकरण करने से इंकार कर देगा।
- (3) अनुज्ञित के नवीकरण से इंकार के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण माँग किये जाने पर अनुज्ञित धारक को तब ही दिया जाएगा जब किसी मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय न हो कि उसे दिया जाना लोक हित में नहीं है;
- (4) जहाँ अनुज्ञित के नवीकरण से इंकार किया जाता है, नवीकरण के लिए भुगतान की गई फीस को उस तारीख, जिस तारीख को अनुज्ञित का नवीकरण किया जाना था से शुरू होकर उस तारीख, जिस तारीख को उसके नवीकरण करने से इंकार किया गया, तक की अवधि के लिए आनुपातिक फीस की कटौती करके अनुज्ञित धारक को लौटा दिया जाएगा।
- (5) नियम के अधीन अनुज्ञित के नवीकरण से इंकार करने से पहले अनुज्ञित धारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

41. अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द किया जाना-

(1) नियम 34 के अधीन प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को उसे जारी करने पाले प्राधिकारी या उससे वरिष्ठतर प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि ऐसे प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि-

(क) अनुजप्ति धारी का परिसर पर विधिमान्य कब्जे का अधिकार नहीं रह गया है;

(ख) अनुजप्ति धारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किसी आपराधिक कृत्य के लिए सिद्धोष ठहराया गया है और दण्डित किया गया है या उसे अच्छे व्यवहार के लिए शांति बनाए रखने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश पारित किया गया है;

(ग) लोक शांति और सुरक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द किया जाना नितांत आवश्यक है:

परन्तु अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने से पहले अनुजप्ति धारी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(2) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी या अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने वाली राज्य सरकार ऐसे रद्दकरण के कारणों को लिखित में अभिलेख करेगा/करेगी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने और ऐसे निरस्तकरण के कारणों के आदेश की एक प्रति तत्काल अनुजप्ति धारक और संबंधित अनुजापन प्राधिकारी को भेजेगा/भेजेगी।

(3) यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र के रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील दायर की जानी है, तो ऐसी अपील साठ दिनों की अवधि के भीतर यथास्थिति, जिला प्राधिकारी या खान सुरक्षा महानिदेशक से वरिष्ठतर प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी, और अपीलीय प्राधिकारी, यदि ऐसा वांछित है तो, मुख्य नियंत्रक से परामर्श कर सकता है।

42. अनुजप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण या रद्दकरण

(1) इन नियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक अनुजप्ति:

(क) रद्द मानी जाएगी, यदि अनुजप्ति धारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किसी आपराधिक कृत्य के लिए सिद्धोष ठहराया गया है और दण्डित किया गया है या उसे अच्छे व्यवहार के लिए शांति बनाए रखने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेशित किया गया है;

(ख) रद्द मानी जाएगी, यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र जिला प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा रद्द किया गया है।

(ग) यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो अधिनियम या इन नियमों के या ऐसी अनुजप्ति में अंतर्विष्ट किसी शर्त के अतिलंघन के लिए अनुजापन प्राधिकारी के आदेश द्वारा या केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा निलंबित या रद्द किया जा सकेगा;

परन्तु इस नियम के अधीन किसी अनुजप्ति को निलंबित या रद्द करने से पहले अनुजप्ति धारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(2) निलंबन या रद्दकरण उस तारीख से प्रभावी होगा जिसका विनिर्देश उसमें किया जाए।

(3) अनुजप्ति के निलंबन या रद्दकरण का आदेश तारीख किया गया माना जाएगा यदि उसे अनुजप्ति में प्रविष्ट अनुजप्ति धारक के पते पर डाक द्वारा भेज दिया है।

(4) अनुजप्ति का निलंबन अनुजप्ति धारक को नवीकरण के लिए आवेदन करने से निवारित नहीं करेगा।

(5) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित मामलों में अनुजप्ति धारक को उसके अनुजप्ति के निलंबन या रद्दकरण से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सकेगा—

(1) जहाँ अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों या ऐसी अनुजप्ति में उल्लिखित किसी शर्त के उल्लंघन के लिए अनुजापन प्राधिकारी द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में अनुजप्ति को निलंबित किया गया है और जहाँ अनुजापन प्राधिकारी की यह रिय है कि ऐसे उल्लंघन से आम जनता को आसन्न खतरे की संभावना है;

(2) जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक हित में या राष्ट्र की सुरक्षा के हित में अनुजप्ति को निलंबित या रद्द किया गया है, वहाँ ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा।

(6) अनुजप्ति निलंबित या रद्द करने वाला/वाली अनुजापन प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के कारण को लिखित में अभिलेख करेगा/करेगी।

43. अनुजप्ति की विधिमान्यता के अवसान, निलंबन या प्रतिसंहरण या रद्दकरण पर प्रक्रिया

(1) अनुजप्ति की विधिमान्यता के अवसान, उसके निलंबन या रद्दकरण की स्थिति में अनुजप्ति धारक तत्काल अपने कब्जे के अमोनियम नाइट्रेट की किस्म और मात्रा के बारे में अनुजापन प्राधिकारी को सूचित करेगा और उसके व्यवस्थापन के संबंध में अनुजप्ति जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

प्राप्ति के ग्राहणीय विवरणों में इसके व्यापकताएँ विवरित होती हैं।

(2) यदि अनुजप्ति को अनुजापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहरण या रद्द किया गया है तो अवसान नहीं हुई अवधि की फीस अनुजापन प्राधिकारी द्वारा आवेदक को लौटा दी जाएगी ।

प्राप्ति के ग्राहणीय विवरणों में इसके व्यापकताएँ विवरित होती हैं।

44. अपील के लिए उपबंध - प्राप्ति ने ८८ घण्टाएँ छुट्टी दी गिए हैं तथा एक ने छुट्टी दी गिए हैं।

(1) अनुजापन प्राधिकारी के अनुजप्ति को प्रदान करने या उसके नवीकरण से इंकार करने या अनुजप्ति का निलंबन या प्रतिसंहण करने के विरुद्ध-

(क) यदि आदेश मुख्य नियंत्रक द्वारा पारित कियी गयी है तो केन्द्रीय सरकार को

(ख) यदि आदेश नियंत्रक द्वारा पारित किया गया है तो मुख्य नियंत्रक को कि विभेद प्राप्ति ने किया है।

(ग) यदि आदेश जिला प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो ऐसे प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को अपील की जा सकेगी। ग्राहक ग्राहक छुट्टी प्राप्ति के विवरणों में इनकी व्यापकताएँ विवरित होती हैं।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपील ऐसे आदेश की सूचना दिए जानेवाली तारीख से साठ दिन की

अवधि के भीतर दायर की जा सकेगी। ने ०८ घण्टाएँ कि प्राप्ति एक ग्राहक ने घण्टाएँ द्वारा कराता है।

45. अपील प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया-

(1) अपील प्राप्त होने पर, आदेश की अपील अधिनियम के अनुसार स्वीकार किए जाने योग्य है, अपील प्राधिकारी, जिस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है, उसे प्रारित करने वाले प्राधिकारी से मामले के अभिलेख मँगवा सकता है और ऐसी आगे जाँच कर सकता है जैसी आवश्यक समझी जाए और अपीलार्थी को सुनिवाई का अवसर दिने के बाद अंतिम आदेश प्रारित कर सकता है। ग्राहक विवरणों में इनकी व्यापकताएँ विवरित होती हैं।

(2) अपील प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई अधिनियम की धारा ६ च ३ के प्रावधानों के अनुरूप होगी।

46. अनुजप्ति धारी की मृत्यु या निःशक्तता पर प्रक्रिया-

प्राप्ति के विवरणों में इनकी व्यापकताएँ विवरित होती हैं।

(1) यदि किसी अनुजप्ति धारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है या अन्यथा निःशक्त हो जाता है तो इन नियमों के अधीन उसे प्रदान की गई अनुजप्ति, अनुजप्ति धारी की यथास्थिति, मृत्यु या मानसिक अक्षमता या दिवालियेपन या निःशक्तता की तारीख को निरस्त मानी जाएगी ।

(2) अनुजप्ति धारक के विधिक वारिस या प्रतिनिधि यथाशक्य शीघ्र

(क) अनुजापन प्राधिकारी को अनुजप्ति धारक की यथास्थिति, मृत्यु, उसके दिवालियेपन, उसकी मानसिक अक्षमता या अन्य निःशक्तता की तारीख सूचित करेगा; और

(ख) अनुजप्त परिसर में रखे अमोनियम नाइट्रेट के व्यवस्थापन के संबंध में अनुजापन प्राधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करेगा।

47. अनुजप्ति का खो जाना - जहाँ इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुजप्ति या उसकी प्रमाणित प्रति खो जाती है या दुर्घटना के कारण नष्ट हो जाती है, वहाँ नियम 29 के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर उसकी एक अनुलिपि जारी की जा सकेगी।

अध्याय- 8

प्राधिकारियों में निहित शक्तियाँ

48. अनुजप्ति या पास माँगने की अधिकारियों की शक्ति-

प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुजप्ति हो वह, नियम 50 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के ऐसा करने के लिए कहने पर ऐसे समय और स्थान पर जैसे ऐसा अधिकारी निर्देश करे, उसे या उसकी एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(1) पारगमन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट गलन के खेप का भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास इन नियमों के अधीन जारी वैध पास हो, नियम 50 में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के ऐसा करने के लिए कहने पर उसे प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी अनुजप्ति की प्रतियाँ, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, अनुजप्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी से बिना किसी प्रभार के बगैर प्रमाणित कराई जा सकती हैं।

49. प्राधिकारियों पर कार्यकारी नियंत्रण - इन नियमों के अधीन कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकार से भिन्न प्रत्येक प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार के निर्देशों और नियंत्रण के अध्यधीन होगा:

परन्तु इन नियमों की कोई बात मुख्य नियंत्रक की अपने अधीनस्थों पर कार्यकारी नियंत्रण की शक्तियों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

50. तलाशी और जब्ती की शक्तियाँ

(1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी उस सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर -

(क) किसी स्थान, विमान, ट्रेन, पोत, समुद्री-नौका या किसी परिवहन माध्यम जिसमें इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुजप्ति के अधीन अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, संपरिवर्तन, कब्जा, उपयोग, विक्रय, परिवहन, निर्यात या आयात किया जा रहा है या जिसमें उसे यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अमोनियम नाइट्रेट का विनिर्माण, संपरिवर्तन, कब्जा, उपयोग, विक्रय, परिवहन, निर्यात या आयात किया गया है या किया जा रहा है, मैं प्रवेश कर सकता हूँ, का निरीक्षण और जाँच कर सकता हूँ;

(ख) अमोनियम नाइट्रेट की तलाश कर सकता हूँ;

(ग) उसमें पाए गए अमोनियम नाइट्रेट को उससे संबंधित दस्तावेजों के साथ, जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों का अतिलंघन किया गया है, किसी अमोनियम नाइट्रेट के नमूने ले सकता है जब्त, निरुद्ध और निराकरण कर सकता है।

सरणी

क्रम संख्या	प्राधिकारी	अधिकारिता
1.	सभी जिला मजिस्ट्रेट	उनकी संबंधित अधिकारिता
2.	जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट	उनकी संबंधित अधिकारिता
3.	सभी पुलिस आयुक्त या पुलिस अधिकारी जिनका रैंक पुलिस उप निरीक्षक के रैंक के नीचे का न हो	उनकी संबंधित अधिकारिता
4.	खान सुरक्षा महानिदेशक या उसके अधीनस्थ अधिकारी	उनकी संबंधित अधिकारिता
5.	मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक	भारत के सभी भाग

51. अतिलंघन की रिपोर्ट पर प्रक्रिया

(1) जब कभी मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम या इन नियमों के अतिलंघन के बारे में कोई रिपोर्ट की जाए, जिला मजिस्ट्रेट तत्काल कार्रवाई करेगा और ऐसी रिपोर्ट पर स्वयं द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को देगा।

(2) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक जब कभी कोई अमोनियम नाइट्रेट पाते हैं जिसके संबंध में यथास्थिति, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या उसकी राय में जो भण्डारण, परिवहन या उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रह गया है और ऐसे नियंत्रक को मामला गंभीर प्रतीत होता है और जनता, स्थान और अमोनियम नाइट्रेट के स्वामी के लिए गंभीर खतरा प्रतीत होता है, तो वह ऐसे अमोनियम नाइट्रेट को नष्ट कर सकता है।

(3) इस नियम की कोई बात अमोनियम नाइट्रेट या उसका मिश्रण अंतर्विष्ट करने वाली कामचलाऊ विस्फोटक युक्ति पर लागू नहीं होगी ।

अध्याय- 9

दुर्घटनाएं, पूछताछ और रिपोर्ट

52. किसी हानि या चोरी की सूचना - अनुजप्ति धारक अपने कब्जे में रखे अमोनियम नाइट्रेट गलन की अंतर्गत किसी हानि या चोरी, जहाँ हानि अमोनियम नाइट्रेट के रोजमरा के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, या उपयोग के दौरान प्रतीकात्मक रूप से होने वाली हानि की मात्रा से अधिक हानि होती है, की सूचना हानि या चोरी के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के व्यौरे देते हुए अनुजापन प्राधिकारी और संबंधित जिला प्राधिकारी को देगा और हानि या चोरी की सूचना निकटतम स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी दी जाएगी ।

53. दुर्घटना की सूचना-

(1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिए जाने के लिए दुर्घटना की आवश्यक सूचना दुर्घटना के चौबीस घण्टे की अवधि के भीतर टेलिफोन, टेलिग्राम, ई-मेल, फैक्स द्वारा या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यम से या विशेष संदेशवाहक द्वारा और उसके बाद लिखित रिपोर्ट के रूप में जिस पर अधिष्ठाता या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, दुर्घटना, मानव जीवन की हानि, व्यक्तियों को पहुँची चोट, सम्पत्ति को नुकसान, की गई आपातिक कार्रवाई आदि के व्यौरे देते हुए निम्नलिखित को दी जाएगी-

- (क) मुख्य नियंत्रक;
- (ख) नियंत्रक जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटी;
- (ग) जिला मजिस्ट्रेट; और
- (घ) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी ।

(2) जब तक मुख्य नियंत्रक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि नहीं आता या मुख्य नियंत्रक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से यह अनुदेश प्राप्त नहीं होता कि वह कोई आगे अन्वेषण या जाँच करवाने का इच्छुक नहीं है, किसी मलवे और कचरे को तब के सिवाए जब दुर्घटना से घायल हुए व्यक्तियों को बचाने और मारे गए किन्हीं व्यक्तियों के शव निकालने के लिए और हवाई अड्डे, पत्तन या रेल या उठाई/धराई स्थान के बारे में, संचरण व्यवस्था बहाल करने के लिए उन्हें हटाना जरूरी हो, कोई हाथ से नहीं छुएगा ।

(3) मुख्य नियंत्रक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी तरह की सहायता प्रदान की जाएगी ।

54. जाँच न्यायालय में प्रक्रिया- (1) मुख्य नियंत्रक, सशस्त्र बलों या आयुध कारखानों या ऐसे बलों की अन्य स्थापनाओं के प्रमुखों से उस जाँच न्यायालय में प्रतिनिधित्व कराने की व्यवस्था करेगा, जहाँ वह चाहता है ।

(2) मुख्य नियंत्रक को न्यायालय की उस कार्यवाही की प्रतियोग प्रदान की जाएंगी जहाँ उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है ।

(3) यथास्थिति, सशस्त्र बलों या आयुध कारखानों या ऐसे बलों की अन्य स्थापनाओं के प्रमुख मुख्य नियंत्रक को दुर्घटना के बारे में तत्काल ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग देंगे जिसके बारे में वह ईंगित करे, जिसके परिणामस्वरूप जाँच न्यायालय का समन जारी किया जा सके ।

(4) मुख्य नियंत्रक व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हो सकता है या अपने एक प्रतिनिधि को भेज सकता है और दोनों में से किसी मामले में वह, यदि ऐसा चाहे तो, गवाहों की जाँच करने के लिए अधिकृत होगा ।

55. दुर्घटना की जाँच-

(1) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जाँच करे, वह अधिकारी मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी के कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित न होने तक या ऐसे मजिस्ट्रेट को मुख्य नियंत्रक से यह सूचना प्राप्त होने तक कि अधिकारी प्रतिनिधि भेजने का इच्छुक नहीं है, ऐसी जाँच स्थगित रखेगा ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट स्थगित जाँच करने से कम से कम इक्कीस दिन पहले स्थगित जाँच करने के समय और स्थान की लिखित में सूचना मुख्य नियंत्रक को भेजेगा ।

(3) जहाँ किसी दुर्घटना में मानव जीवन की हानि हुई है वहाँ जिला मजिस्ट्रेट, स्थगन से पहले, मृतकों की पहचान के लिए साक्ष्य ले सकता है और उनके निपटान का आदेश पारित कर सकता है ।

(4) मुख्य नियंत्रक या उसका प्रतिनिधि विधि के बिन्दुओं पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसी जॉच में किसी गवाह की पड़ताल के लिए स्वतंत्र होगा।

(5) जहाँ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित किसी जॉच में मुख्य नियंत्रक उपस्थित नहीं होता या उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता, ऐसी जॉच की कार्यवाही रिपोर्ट की एक प्रति उसे भी भेजी जाएगी।

56. अधिक गंभीर दुर्घटनाओं की जॉच - (1) जब कभी अधिनियम की धारा 9 के अधीन जॉच की गई हो, ऐसी जॉच आयोजित करने वाले व्यक्ति उसका आयोजन खुले न्यायालय में, ऐसे रीति से और ऐसी स्थितियों में जैसे वे दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए और उन्हें इस नियम के अधीन रिपोर्ट बनाने के लिए समर्थ करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी समझें, करेंगे:

परन्तु जहाँ केन्द्र सरकार ऐसे निर्देश करे जॉच बंद कमरे में आयोजित की जा सकेगी।

(2) जब कभी मुख्य नियंत्रक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उप-नियम (1) के अधीन जॉच आयोजित की जाए, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी जॉच और उसकी किसी स्थगित जॉच में मुख्य नियंत्रक के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेगा।

(3) जॉच आयोजित करने वाला व्यक्ति जॉच और किसी स्थगित जॉच के आयोजन से कम से कम इक्कीस दिन पहले ऐसी जॉच के आयोजन के समय और स्थान की लिखित में सूचना मुख्य नियंत्रक को भेजेगा।

(4) मुख्य नियंत्रक व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो सकता है या एक प्रतिनिधि भेज सकता है और दोनों में से किसी मामले में वह, ऐसे इच्छुक होने पर, गवाहों की पड़ताल करने के लिए अधिकृत होगा।

अध्याय- 10

प्रशासनिक कार्रवाई

57. सदभाव से की गई कार्रवाई का संरक्षण - इन नियमों के अनुसरण में जो सदभाव से की गई है या किए जाने के लिए आशयित है सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगा/सकेगी।

58. उल्लंघन के लिए निरीक्षण के बाद प्रशासनिक कार्रवाई - निरीक्षण प्राधिकारी परिसर का निरीक्षण करके अनुज्ञित धारक और अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में अपने प्रेक्षण, विसंगतियों या नियमों के उल्लंघन, यदि कोई हों, या अनुज्ञित की शर्त भंग किए जाने के बारे में सूचित करेगा; और निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

अनुसूची 1
अनुजप्तियाँ और अनुजापन प्राधिकारी
(नियम 28 देखें)

क्रम संख्या	किस उद्देश्य से प्रदान किया गया	अनुजप्ति का प्ररूप	अनुजापन प्राधिकारी
1.	अमोनियम नाइट्रेट केविनिर्माण और कब्जे में त - 1 रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन से ठोस और ठोस से गलन में संपरिवर्तन और विक्रय के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति		मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक
2.	अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण एवं पेटी में त - 2 रखने और भण्डारण के लिए अनुजप्ति		मुख्य नियंत्रक
3.	(क) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक त - 3 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति (ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक त - 3 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति (ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता/ त - 3 नाइट्रोमेस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई से संबद्ध भण्डार गृह अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति (घ) किसी भण्डार गृह से कृषिय प्रयोजन त - 3 के लिए अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति	जिला प्राधिकारी	मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक
4.	(क) विक्रय या प्रयोग के लिए कब्जे में त - 4 रखने के लिए जिला प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुजप्तियों के लिए अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन लिए अनुजप्ति		जिला प्राधिकारी या जिला प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

	(ख) विक्रय या प्रयोग के लिए कब्जे में रखने के लिए/मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के लिएअमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति	मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक
5.	(क) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए त -5 अनुज्ञप्तिया	मुख्य नियंत्रक
	(ख) अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिएअनुज्ञप्ति।	अनुसूची 2

भाग - 1

आवेदन प्ररूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 33, 35 और देखें)

प्ररूप संख्या	उद्देश्य
क-1	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और विक्रय के लिए कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन से ठोस और ठोस से गलन में संपरिवर्तन और विक्रय के लिए कब्जे में रखने के लिएअनुज्ञप्ति हेतु आवेदन
क-2	अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण एवं पेटी में रखने और भण्डारण के लिए अनुज्ञप्तिहेतु आवेदन
क-3	निम्नलिखित के लिए आवेदन (क) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति (ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति (ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता/नाइट्रोजन नाइट्रेट ऑक्साइड विनिर्माता इकाई से संबद्ध भण्डार गृहअमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति (घ) किसी भण्डार गृह से कृषिय प्रयोजन के लिएअमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति

क-4	अमोनियम नाइट्रेट परिवहन हेतु अनुजप्ति के लिए आवेदन
क-5	<p>अनुजप्ति के लिए आवेदन</p> <p>(क) अमोनियम नाइट्रेट का आयात; या</p> <p>(ख) अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात</p>

भाग - 2

अनुजप्ति प्ररूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 35 देखें)

प्ररूप संख्या	उद्देश्य
त-1	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण और विक्रय के लिए कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन से ठोस और ठोस से गलन में संपरिवर्तन और विक्रय के लिए कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति
त-2	अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण एवं पेटी में रखने और भण्डारण के लिए अनुजप्ति
त-3	<p>(क) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति</p> <p>(ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति</p> <p>(ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता/ नाइट्रोअस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई से संबद्ध भण्डार गृह अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति</p> <p>(घ) किसी भण्डार गृह से कृषिय प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति</p>
त-4	अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए अनुजप्ति
त-5	<p>(क) अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए अनुजप्ति; या</p> <p>(ख) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए अनुजप्ति</p>

भाग - 3

विवरणी प्ररूप

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2011 का नियम 14, 18, 20, 21, 27 और 36 देखें)

प्ररूप संख्या	उद्देश्य
द-1	अनुजप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन
द-2	अनुजप्तिधारक द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप - विनिर्मित, संपरिवर्तित अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा
द-3	आयातकर्ता द्वारा लोडिंग के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण किए जाने पर मुख्य नियंत्रक को प्रेषित किया जाने वाला घोषणापत्र
द-4	आयातक प्रेषण अनुसूची
द-5	जहाज से सामान उतारने/ लादने वाले एजेन्ट द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप - अमोनियम नाइट्रेट के जहाज पर लाठने/ उतारने, रखने एवं प्रेषण का लेखाजोखा
द-6	परिवहन अनुजप्तिधारी द्वारा अभिलेख रखे जाने का प्ररूप - अमोनियम नाइट्रेट या मेल्ट के ट्रक या टैंकर द्वारा परिवहन का अभिलेख
द-7	अनुजप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप - अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय का लेखाजोखा
द-8	अनुजप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप - अनुजप्तिधारी द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग का लेखाजोखा
द-9	अमोनियम नाइट्रेट की मासिक विवरणी
द-10	अमोनियम नाइट्रेट के मांगपत्र का प्ररूप
द-11 (क)	अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के प्रेषण से पहले पारेषिती द्वारा पुलिस अधीक्षक को सूचना दिए जाने सम्बन्धी प्ररूप
द-11(ख)	अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के परिवहन हेतु परेषिती द्वारा जारी किया गया पास

भाग - 4

प्रमाणपत्र

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 18 और 34 देखें)

प्ररूप संख्या	उद्देश्य
ग-1	पत्तन में प्रवेश करने से पूर्व अमोनियम नाइट्रेट ले जाने वाले जहाज के मास्टर या जहाज के एजेन्ट द्वारा की जाने वाली घोषणा
ग-2	अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्ररूप

प्ररूप क - 1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 और 37 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट/कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण और विक्रय के लिए कब्जे में रखने या अमोनियम नाइट्रेट गलन को ठोस या ठोस को गलन में संपरिवर्तित करने और विक्रय के लिए कब्जे में रखने हेतु अनुजप्ति के लिए आवेदन

मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुजप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन ⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ -

उद्देश्य:

1. नाम : मुझे अनुजप्ति निम्नलिखित नाम एवं डाक के पते पर अपेक्षित है -

(क) नाम ,जिसमें अनुजप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखें)

.....
(ख) प्रास्थिति⁽²⁾

(ग) आयु/⁽³⁾

(घ) डाक पता

शहर जिला राज्य पिन कोड

पुलिस थाना..... रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ई-मेल फैक्स

2. प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है-

सर्वे नं° शहर जिला राज्य पिन कोड

.....
पुलिस थाना रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ई-मेल फैक्स

3. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अहताएं और अनुभव

4. प्रतिदिन विनिर्माण, संपरिवर्तन किए जाने के बाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

.....

(क) विनिर्माण, संपरिवर्तन संयंत्र की वार्षिक क्षमता

(ख) विनिर्माण प्रारंभ होने की तारीख (केवल विद्यमान विनिर्माताओं के लिए)

(ग) संपरिवर्तन संयंत्र के प्रत्येक भण्डारगृह प्रत्येक शेड में किसी एक समय पर उपलब्ध अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

(घ) किसी एक समय में भण्डारण किए जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

(ङ) प्रस्तावित संशोधन या अतिरिक्त सूचना के ब्यौरे, यदि कोई हो,

5. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII

के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है?

हाँ नहीं

यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें।

6. (क) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन अन्य अनुजप्ति की विशिष्टियाँ

..... यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हाँ । हाँ नहीं

(ख) क्या किसी अनुजप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी? हाँ नहीं.....

(ग) यदि हाँ , ब्यौरे दें

7. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं ।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख
 (कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)
 पूरा नाम
 पता

टिप्पण:

कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नम्बना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने चाहिए ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना.
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुजापन अधिकारी या अनुजप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी
4. आवेदक के व्यष्टि होने के दशा में आयु दी जानी है
5. (क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में

- (1) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 4.5 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
- (2) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 9 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 90 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
- (ख) भण्डार गृह विनिर्माण, संपरिवर्तन या विस्फोटक या नाइट्रोअस ऑक्साइड विनिर्माण संयंत्रों की पेटीबंदकरण यूनिट के निकटवर्ती हो सकता है, किन्तु नियम 4 के उप-नियम (क) के खण्ड (1) और (2) के उपबंधों का पालन किया जाएगा ।

कानूनी चेतावनी : अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप क - 2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 और 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण एवं पेटी में रखने और भण्डारण हेतु अनुजप्ति के लिए आवेदन मैं, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुजप्ति के अनुमोदन या अनुदान या संशोधन⁽¹⁾ के लिए आवेदन करता हूँ -

उद्देश्यः

1. नाम : मुझे अनुजप्ति निम्नलिखित नाम एवं डाक के पते पर अपेक्षित है—
 (क) नाम ,जिसमें अनुजप्ति अनुदत्त किए जाने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखें).....
 (ख) प्रास्थिति⁽²⁾
 (ग) आयु⁽³⁾
 (घ) डाक पता
 शहर जिला राज्य पिन कोड
 पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट
 फोन ई-मेल फैक्स
2. प्रस्तावित बैगिंग परिसर निम्नलिखित पते पर स्थित है—
 सर्वे नं० शहर जिला राज्य पिन कोड
 पुलिस थाना रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट
 फोन ई-मेल फैक्स
3. पत्तन प्राधिकारी द्वारा नौभरण एजेन्ट के रजिस्ट्रीकरण का विवरण
 4. आवेदक और उसके द्वारा नियोजित तकनीकी कार्मिकों की अहताएं और अनुभव
 5. अमोनियम की बैगिंग क्षमता
 (क) वार्षिक बैगिंग क्षमता
 (ख) प्रत्येक बैगिंग गोदाम एवं संबद्ध भण्डारगृह, यदि हो, में किसी एक समय पर उपलब्ध अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा
 (ग) किसी एक समय में, दोनों प्रपुंज एवं बैग्ड अवस्था में, भण्डारण किए जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा
 (घ) प्रस्तावित संशोधन या अतिरिक्त सूचना के ब्यौरे, यदि कोई हो.....
6. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ नहीं.....
 यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें।
7. (क) अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के अधीन अन्य अनुजप्ति की विशिष्टियाँ.....
 यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों । हाँ नहीं
 (ख) क्या किसी अनुजप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी ? हाँ नहीं..
 (ग) यदि हाँ ,ब्यौरे दें
8. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं	
आवेदक के हस्ताक्षर	
तारीख	(कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)
	पूरा नाम
	पता

टिप्पणी:

कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए

1. उस दशा में जहाँ आवेदन ,किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है ,वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति ,निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने चाहिए ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना.
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुजापन अधिकारी या अनुज्ञित नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी।
4. आवेदक के व्यष्टि होने के दशा में आयु दी जानी है ।
5. (क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में
 - (1) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 4.5 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
 - (2) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 9 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 90 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;

कानूनी चेतावनी : अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

- (घ) यदि हाँ ,ब्यौरे दें
 9. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,
 मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख.....

पूरा नाम

पता

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

- उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है ,वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति ,निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
- अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
- उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञाप्त नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी।
- आवेदक के व्यष्टि होने के दशा में आयु दी जानी है ।
- (क) अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह में
 - (1) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 4.5 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
 - (2) 30 मैट्रिक टन से अधिक के भण्डारण की व्यवस्था के लिए, भण्डार गृह से चारदीवारी तक 9 मीटर की और किसी संरक्षित संकर्म से 90 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी;
- (ख) भण्डार गृह विनिर्माण, संपरिवर्तन या विस्फोटक या नाइट्रोअस ऑक्साइड विनिर्माण संयंत्रों की पेटीबंदकरण यूनिट के निकटवर्ती हो सकता है, किन्तु नियम 12 के उप-नियम (क) के खण्ड (1) और (2) के प्रावधानों का पालन किया जाएगा ।

कानूनी घेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

प्ररूप क - 4

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33, 35 एवं 37 देखिए)

अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन हेतु अनुजप्ति प्रदान किए जाने या उसके संशोधन हेतु आवेदन में

..... की ओर से अनुजप्ति प्रदान किए जाने/अनुजप्ति सं0..... के संशोधन हेतु आवेदन करता हूँ । विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैं और अपेक्षानुसार अन्य दस्तावेज संलग्न हैं ।
उत्तर इस स्तम्भ में दिया जाना है

1. आवेदक का नाम (नीचे नोट्स देखें) -----

2. आवेदक का डाक पता -----

पिन कोड नं0

टेलिफोन नं0

फैक्स नं0

3. जहाँ अमोनियम नाइट्रेट ले जाया जाएगा वहाँ से आवेदक द्वारा धारण की गई अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन अमोनियम नाइट्रेट कब्जे में रखने और विक्रय/प्रयोग के लिए प्रदान की गई अनुजप्ति की विशिष्टियाँ

अनुजप्ति सं0

परिसर की स्थिति

अनुजप्त क्षमता

किस तारीख तक अनुजप्ति वैध है

4. जिस स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट ले जाया जाएगा उसकी विशिष्टियाँ.....
5. वाहन का प्रकार.....
6. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराया गया है या बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है ?
 हाँ..... नहीं.....
 (ख) यदि हाँ तो कृपया ब्यौरा दें.....
7. (क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अनुजप्ति, यदि आवेदक ने पिछले दस वर्षों के दौरान कोई धारण की हो, की विशिष्टियाँ.....
- (ख) क्या किसी अनुजप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी? हाँ
 नहीं.....
 (ग) यदि हाँ, ब्यौरे दें.....
8. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, में यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख..... (कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति)

पूरा नाम

पता.....

टिप्पणी: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए।

1. उस दशा में जहाँ आवेदन, किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति, निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है।
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुजापन अधिकारी या अनुजप्ति नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी।
4. आवेदक के व्यष्टि होने के दशा में आयु दी जानी है।
5. अनुजप्ति प्ररूप त-1, त-2, त-3 या त-5 की प्रति।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा।

प्ररूप क . 5

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 की अनुसूची 2 के भाग 1 और नियम 33 एवं 35 देखिए)

(क) अमोनियम नाइट्रेट के आयात, या

(ख) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात

हेतु अनुजप्ति के लिए आवेदन
में, की ओर से निम्नलिखित प्रयोजन के
लिए अनुजप्ति के लिए आवेदन करता हूँ:-

1. उद्देश्य :- आयात या निर्यात

2. मुझे अनुजप्ति निम्नलिखित नाम एवं डाक पते पर अपेक्षित है:-

(क) नाम जिसमें अनुजप्ति अनुदान करने की अपेक्षा की गई है (नीचे नोट्स देखिए)

(ख) प्रास्थिति
(ग) आयु
(घ) डाक पता
शहर जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

3. (क) (1) (आयात के लिए) किसी एक समय में आयात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित मात्रा

(2) विनिर्माता का नाम एवं पता और/या अमोनियम नाइट्रेट आयात किए जाने वाले आयातक का देश

(3) भण्डारगृह का विवरण जहाँ आयात के बाद अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण किया जाएगा

.....
(4) पत्तन या आयात का स्थान

(5) अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण प्रपुंज में है या बैगड रूप में है

(6) नौभरण एजेन्ट का विवरण जिसमें उसका नाम, पता एवं अनुजप्ति संख्या हो

4. (ख) (निर्यात के लिए)

- (1) निर्यात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा
- (2) कन्साइनी का नाम एवं पता या निर्यात का देश
- (3) स्थान या पत्तन जहाँ से अमोनियम नाइट्रेट का निर्यात किया जाएगा

4. क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराया गया है या शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया है? हाँ नहीं

5. (क) अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन अन्य अनुजप्ति की विशिष्टियाँ ,

यदि आवेदक द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान धारित की गई हों। हाँ नहीं

(ख) क्या किसी अनुजप्ति को रद्द किया गया था या नवीनीकृत नहीं की गई थी? हाँ नहीं

(ग) यदि हाँ, ब्यौरे दें

6. (क) क्या आवेदक ने पहले अमोनियम नाइट्रेट का आयात या निर्यात किया है

(ख) यदि हाँ तो पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा दें

7. प्रस्तावित संशोधन की विशिष्टियाँ/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो,

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख.....

कम्पनी की दशा में प्राधिकृत व्यक्ति

पूरा नाम.....

पता.....

टिप्पण: कृपया प्रयोजन और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए नियम देखिए ।

1. उस दशा में जहाँ आवेदन ,किसी वव्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है ,वहाँ नियम 2 के अनुसार अधिभोगी और यथास्थिति ,निदेशकों या भागीदारों या सदस्यों के नाम और पते तथा प्राधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर संलग्न किए जाने हैं ।
2. अधिभोगी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाना है ।
3. उपरोक्त सूचना में किसी परिवर्तन की संसूचना तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी या अनुज्ञित नवीनीकरण प्राधिकारी को दी जाएगी ।
4. आवेदक के व्यष्टि होने के दशा में आयु दी जानी है ।

कानूनी चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर अपराध होगा ।

2. अमोनियम नाइट्रेट का कब्जा या भण्डारण अनुजप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए अनुमोदित गोदाम या मेल्ट भण्डारण टैंक में ही किया जाएगा ।
3. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा परिसर पर या उसके किसी भी भाग में, किसी एक समय में, अनुजप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
4. अमोनियम नाइट्रेट के फैलाव या पौछने/फैलाव या पौछने से बचे अपशिष्ट अमोनियम नाइट्रेट को अनुजप्ति धारक द्वारा एकत्र करके नष्ट कर दिया जाएगा और उसका लेखाजोखा रखा जाएगा जिसमें नष्ट हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्र का उपदर्शित होगी ।
5. अनुजप्तिधारी एवं विनिर्माण तथा कन्वर्जन के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से विरत करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हों ।
6. अनुजापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुजप्त परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा ।
7. अनुजप्तिधारी विनिर्माण/संपरिवर्तन प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक सक्षम व्यक्ति नियुक्त करेगा और पूरा संचालन उस सक्षम व्यक्ति की निगरानी में होगा ।
8. किसी निरीक्षण अधिकारी को अनुजा प्राप्त परिसर में युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि जिससे वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपर्युक्त एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है ।
9. यदि अनुजप्ति निर्गमन प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी अनुजप्तिधारी लिखित में अधिकृत परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन या परिवर्धन या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है, तो अनुजप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में अनुपालन की रिपोर्ट देगा ।

10. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी और मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को तुरन्त दी जाएगी।
11. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 8 एवं 9 के अनुसार विधिवत चिह्नांकित करके अमोनियम नाइट्रेट को पेटी में रखकर और चिह्नांकित करके सम्बद्ध भंडार गृहों में रखा जाएगा।
12. विनिर्मित, संपरिवर्तित या कब्जे में रखे अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा अनुजप्ति में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तित, नौभरण, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात में लगे अनुजप्तिधारी अनुसूची ॥ भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में इनका अभिलेख रखेंगे जिससे नियम 49 में विहित प्राधिकारी के मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए जाएं।
14. विनिर्मित, संपरिवर्तित, अभिप्राप्त, विक्रय हुए या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुजप्तिधारी मासिक विवरणी अनुसूची ॥ भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप द - 9 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक अनुजप्ति निर्गमन प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए।

दिनांक 20.....

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

(मुख्य नियंत्रक या विस्फोटक नियंत्रक)

अनुजप्ति

प्ररूप त - 2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 1 का क्रमांक 2 और नियम 35 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण, बैगिंग हेतु अनुजप्ति

अनुजप्ति संख्या
 वार्षिक शुल्क रु०

अनुजप्तिधारी या
 अधिभोगी का
 हस्ताक्षर सहित
 फोटोग्राफ

1. अनुजप्ति एतद्वारा जारी की जाती है -

नाम

डाक पता शहर

जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

2. अनुजप्तिधारी की प्रास्थिति :

3. अनुजप्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वैध है -

नौभरण एवं बैगिंग जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को जहाज से उतारना, अपने अनुजा-प्राप्त गोदाम तक ले जाना और बैगिंग शामिल है ।

4. अनुजप्ति अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित मात्रा के नौभरण एवं बैगिंग के लिए वैध है

(क) किसी एक समय में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

(ख) प्रत्येक माह में अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा ।

5. अधिकृत परिसर निम्नलिखित आरेखण(णों) के अनुरूप होगा -

आरेखण संख्या दिनांक

6. अधिकृत परिसर निम्नलिखित पते पर अवस्थित है:

शहर ज़िला राज्य पिन कोड
 पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट
 फोन ईमेल फैक्स

7. अधिकृत परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं –

- (क) बैगिंग सुविधाएँ
- (ख) स्टोरहाउस

8. अनुजप्ति, समय समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम 1884, और उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012, की शर्तों अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन जारी की जाती हैं:

- (क) उक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित आरेखण (जिसमें स्थल, निर्माण एवं अन्य विवरण दर्शाए गए हों)
- (ख) ज़िला प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुजप्ति की शर्तें एवं अतिरिक्त शर्तें।

9. यह अनुजप्ति सन के मार्च माह के 31वें दिन तक वैध रहेगी।

यह अनुजप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 या इस अनुजप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन करने पर या यदि अनुजप्ति परिसर आरेखण या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलम्बित या प्रतिसंहृत की जा सकती है।

तारीख 20.....

हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

(ज़िला प्राधिकारी)

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान.

सांविधिक चेतावनी: विस्फोटकों का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दाण्डिक अपराध है।

शर्तें

1. अमोनियम नाइट्रेट का भण्डारण एवं बैगिंग अनुज्ञित के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए अनुज्ञित परिसर में ही किया जाएगा।
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा परिसर पर या उसके किसी भी भाग में, किसी एक समय में, अनुज्ञित मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. अमोनियम नाइट्रेट के फैलाव या पॉछने से बचे हुए अपशिष्ट अमोनियम नाइट्रेट को एकत्र कर अनुज्ञितधारी द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा और उसका लेखाजोखा रखा जाएगा जिसमें नष्ट हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा उपदर्शित होगी।।
4. अनुज्ञितधारी एवं विनिर्माण तथा संपरिवर्तन के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुर्घटना से बचाव तथा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से विरत करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हों।।
5. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुज्ञित परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा। स्वीकृत किए गए इस प्रकार के परिवर्तन एवं परिवर्धन अनुज्ञित के साथ संलग्न संशोधित आरेखण में दर्शाए जाएँगे।।
6. अनुज्ञितधारक द्वारा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं कार्यों का संचालन इन नियमों के अनुरूप करने हेतु एक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा।
7. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अनुज्ञित परिसर में युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक रूप से पालन किया जा रहा है।।
8. यदि जिला प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी अनुज्ञितधारी को लिखित में अनुज्ञित परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन या परिवर्धन या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे

अधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय नहीं किया जाएगा। बैगों में भरे हुए अमोनियम नाइट्रेट को केवल उस आयातकर्ता के अनुज्ञप्त ट्रक में लादा जाएगा जिसकी अनुज्ञप्ति से अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया जा रहा है।
10. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी।
11. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 8 एवं 9 के अनुसार सम्यक रूप से चिह्नांकित करके अमोनियम नाइट्रेट को यथाशीघ्र उचित बैगों में रख करके संबद्ध भण्डार गृहों में रखा जाएगा।
12. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात में लगे अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची ।। भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में इनका अभिलेख रखेंगे जिससे नियम 49 के अनुसार मांगे जाने पर प्राधिकारी को ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।
13. विनिर्मित, संपरिवर्तित, नौभारित, बैग्ड, प्राप्त, विक्रय हुए या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी मासिक विवरणी अनुसूची ।। भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप द-9 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक अगले महीने की 10 तारीख तक अनुजापन प्राधिकारी एवं जिला प्राधिकारी को प्राप्त हो जाए।
14. कोई वाहन अमोनियम नाइट्रेट के ढेर पर से नहीं गुजरेगा।
15. नौभरण भण्डार गृह के निकट तुला ब्रिज प्रदान किया जाएगा।
16. अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत एजेण्ट अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के जहाज से लाठने के दौरान अभिवहन भण्डार गृह के लिए अभिवहन, बैगिंग और प्रेषण के दौरान, फैलाव, संदूषण और हानि से बचाव के लिए सभी सम्यक सावधानी बरतेगा।

जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुजप्ति

प्ररूप त - 3

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 1 का क्रमांक 3 और नियम 35 देखें)

अनुजप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क रु०

अनुजप्तिधारी या
अधिभोगी का हस्ताक्षर
सहित फोटोग्राफ

- (क) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति
- (ख) किसी भण्डार गृह से 30 मैट्रिक टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट विक्रय या प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति
- (ग) किसी विस्फोटक विनिर्माता/ नाइट्रोअस ऑक्साइड विनिर्माता इकाई से संबद्ध भण्डार गृह अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति
- (घ) किसी भण्डार गृह से कृषिय प्रयोजन के लिए अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग हेतु कब्जे में रखने के लिए अनुजप्ति

1. अनुजप्ति एतद्वारा जारी की जाती है -

नाम

डाक पता शहर

जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

2. अनुजप्तिधारी का स्तर: व्यक्तिगत या कम्पनी

3. अनुजप्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए वैध है -

- (क) अनुजप्ति किसी एक समय में मात्रा अमोनियम नाइट्रेट के लिए वैध है ।
- (ख) वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

4. अनुजप्ति परिसर निम्नलिखित आरेखण (एओं) के अनुरूप होगा -

आरेखण संख्या दिनांक

6. अनुजप्त परिसर निम्नलिखित पते पर अवस्थित है:

शहर.....	ज़िला	राज्य	पिन कोड
पुलिस स्टेशन	रेलवे स्टेशन या स्टीमर घाट		
फोन	ईमेल	फैक्स	

7. अनुजप्त परिसर में निम्नलिखित सुविधाएँ हैं -

.....
.....
.....

8. अनुजप्ति, समय समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम 1884, एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012, शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन जारी की जाती हैं-

- (1) उक्त क्रम संख्या 5 में उल्लिखित आरेखण (जिसमें स्थल, निर्माण एवं अन्य विवरण दर्शाए गए हों)
- (2) अनुजप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुजप्ति की शर्तें एवं अतिरिक्त शर्तें।

9. यह अनुजप्ति सन के मार्च महीने के 31वें दिन तक वैध रहेगी।

यह अनुजप्ति विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 या इस अनुजप्ति की किसी शर्तों का उल्लंघन करने पर या यदि अनुजप्त परिसर आरेखण या उससे संलग्न उपाबद्ध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है।

तारीख 20.....
पदनाम एवं मुहर

हस्ताक्षर,

(अनुजापन प्राधिकारी)

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान

सांविधिक चेतावनी: अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दाण्डिक अपराध है।

शर्तें

1. अमोनियम नाइट्रेट का कब्जा या भण्डारण अनुजप्ति के साथ संलग्न अनुमोदित आरेखण में दर्शाए गए अनुजप्त गोदाम या मेल्ट भण्डारण टैक में ही किया जाएगा।
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा परिसर पर या उसके किसी भी भाग में, किसी एक समय में, अनुजप्त मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. फैलाव/पांछने या फैलाव या पांछने से बचे अपशिष्ट अमोनियम नाइट्रेट को एकत्र कर अनुजप्तिधारी द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए एवं विनष्ट किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा का लेखाजोखा रखा जाना चाहिए।
4. अनुजप्तिधारी और विनिर्माण तथा संपरिवर्तन के लिए परिसर में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को विनिर्माण तथा संपरिवर्तन के लिए अनुजप्त परिसर में अग्नि या विस्फोट से होने वाली दुघटना से बचाव तथा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन के लिए अनुजप्त परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए एवं ऐसे किसी भी कार्य से विरत करना चाहिए जो अग्नि या विस्फोट का कारण बने एवं जो विनिर्माण तथा संपरिवर्तन परिसर में कार्य के उद्देश्य से आवश्यक न हों।
5. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुजापन प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुजप्त परिसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया जाएगा। स्वीकृत किए गए इस प्रकार के परिवर्तन एवं परिवर्धन अनुजप्ति के साथ संलग्न संशोधित आरेखण में दर्शाए जाएँगे।
6. अनुजप्ति धारक द्वारा विनिर्माण तथा संपरिवर्तन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण एवं कार्यों का संचालन इन नियमों के अनुरूप करने हेतु एक योग्य एवं सक्षम व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा।
7. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अनुजप्त परिसर में युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी जिससे कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है।
8. यदि जिला प्राधिकारी या निरीक्षण अधिकारी अनुजप्तिधारी को लिखित में अधिकृत परिसर में कोई मरम्मत या कोई परिवर्तन या परिवर्धन या ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए, जो ऐसे

अधिकारी की राय में अस्वीकार्य जोखिम उत्पन्न कर सकती है और इस प्रकार वह परिसर के बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सूचित करता है, तो अनुज्ञितधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

9. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन और जिला प्राधिकारी के स्थानीय कार्यालय को तुरन्त दी जाएगी।
10. अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण, संपरिवर्तन, नौभरण, बैगिंग, कब्जा, विक्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात एवं निर्यात का कार्य करने वाले अनुज्ञितधारी अनुसूची।। भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में इनका अभिलेख रखेंगे जिससे कि अमोनियम नाइट्रेट के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर उनकी पहचान कर खोज की जा सके एवं नियम 49 में विहित प्राधिकारी के मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए जाएं।
11. विनिर्मित, संपरिवर्तित, नौभारित, बैग्ड, प्राप्त, विक्रय हुए या परिवहन या प्रयोग या विनष्ट या आयात या निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट के सम्बन्ध में अनुज्ञितधारी मासिक विवरणी अनुसूची।। भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप -द-9 में जिला प्राधिकारी को इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि वह प्रत्येक आगामी महीने की 10 तारीख तक अनुज्ञापन प्राधिकारी या जिला प्राधिकारी को प्रोप्त हो जाए।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुजप्ति

प्ररूपत - 4

अनुजप्तिधारी या
अधिभोगी का
हस्ताक्षर सहित
फोटोग्राफ

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 1 का क्रमांक 4 और नियम 35 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन करने के लिए अनुजप्ति

अनुजप्ति संख्या

शुल्क रु0 (प्रतिवर्ष)

1. अनुजप्ति एतद्वारा को अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन करने के लिए जारी की जाती है।
2. प्ररूप में अनुजप्ति परिसर से अनुजप्ति सं0..... पर स्थित नीचे विहित स्थान तक।

क्र0 स्थान ज़िला राज्य

जो कि विस्फोटक अधिनियम, 1884 और उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 और इस अनुजप्ति की शर्तों के अधीन है।

3. अनुजप्तिधारी का डाक पता
4. यह अनुजप्ति के मार्च माह के 31वें दिन तक वैध रहेगी।

यह अनुजप्ति विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 या इस अनुजप्ति की किसी का उल्लंघन करने पर निलंबित या प्रतिसंहत की जा सकती है।

तरीख 20.....
एवं मुहर

अनुजापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम

नवीनीकरण पृष्ठांकन के लिए स्थान.

साविधिक चेतावनी: विस्फोटकों का दुरुपयोग कानून के अन्तर्गत गम्भीर दाण्डक अपराध है।

शर्तें

1. यह अनुजप्ति कन्साइनमेन्ट में उल्लिखित शर्तों के समापन पर या यदि कन्साइनमेन्ट गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले खंडित होता है या यदि अमोनियम नाइट्रेट अनुजप्ति में उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त स्थान/स्थानों से लिया गया है तो शून्य हो जाएगी।
2. अनुजप्तिधारी केवल अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 द्वारा प्राधिकृत रूप में अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन करेगा।
3. किसी कन्साइनी को प्रेषित अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा उस मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसका कन्साइनी नियमों के अधीन जारी अनुजप्ति में हकदार है।
4. अमोनियम नाइट्रेट का प्रत्येक पारेषण प्ररूप द-11(ख) द्वारा पास में संपरिवर्तित हागा और वह (जब अमोनियम नाइट्रेट का रेल द्वारा परिवहन हो रहा है) वे-बिल्टी या इनवाइस जैसा कि मामला हो के साथ संलग्न होगा।
5. प्रत्येक पारेषिती को निर्गमित सभी पास की एक प्रति भेजी जाएगी -
 1. अनुजापन प्राधिकारी;
 2. विस्फोटक नियंत्रक जिसके क्षेत्राधिकार में वह परिसर जहां पारेषण भेजना है स्थित है और

3. विस्फोटक नियंत्रक जिसके क्षेत्राधिकार में वह परिसर जहां अमोनियम नाइट्रेट भेजा गया है। स्थित है।
6. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन और विस्फोटक नियंत्रक जिसके क्षेत्राधिकार में हानि, कमी या चोरी अनुजात हुई, को दी जाएगी।
7. अमोनियम नाइट्रेट को अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 8 और 9 के अनुसार पेटीबंद और चिह्नांकित किया जाएगा।

अतिरिक्त शर्तें

1. यह अनुजप्ति अंतरणीय नहीं है।
2. अनुजप्ति या उसकी प्राधिकृत प्रति सदैव यान में उपलब्ध रखी जाएगी एवं मांगे जाने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
3. किसी विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेल, कार्बोनेशियस सामग्री आदि के साथ अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन नहीं किया जाएगा।
4. अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाले ट्रक चालक या वाहन का संचालक यथापेक्षित समय के अतिरिक्त या अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि के लिए वाहन को नहीं रोकेगा एवं ऐसे स्थानों पर रुकने से बचेगा जहाँ जनसुरक्षा खतरे में हो।

परन्तु जहाँ अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन या वहन करने वाला ट्रक या मेल्ट टैंकर उसमें हुए किसी ब्रेकडाउन या चालक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से रातभर खड़ी रहती है तो जिस परिसर में ट्रक पार्क है, वह

- (क) किसी ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा जिसमें खुली आग, माचिस या कोई ऐसी अन्य वस्तु या पदार्थ मौजूद हो जो विस्फोट या आग का कारण बन सकता है।
- (ख) किसी रिहायश या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तु या अन्य परिसंकटमय सामग्री युक्त किसी गोदाम से दूर होना चाहिए।

परंतु अस्थाई वाहन पार्किंग और स्थिति के बारे में निकट के पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाएगा।

5. अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाला वाहन परिवहन के दौरान अनुजप्तिधारी के खर्च पर पर्याप्त सुरक्षित होना चाहिए। यदि अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरने की संभावना है जिसे गृह मंत्रालय द्वारा संवेदनशील अधिसूचित किया गया है, उसके साथ जिला प्राधिकारी द्वारा प्रावधान किए गए सशस्त्र पुलिस बल या गार्ड होने चाहिए।
6. अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट का परिवहन विशेष रूप से उसके लिए डिजाइन किए गए डिस्चार्ज फॉसेट युक्त टैंकर द्वारा किया जाना चाहिए जिनके डिस्चार्ज फॉसेट मेल्ट आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सम्यक रूप से सील्ड हों। मेल्ट आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा मेल्ट के सान्द्रता कारक को स्पष्टतः इंगित करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। कन्वर्टर यह सत्यापित करेगा कि डिस्चार्ज फॉसेट का सील इन्टेक्ट है एवं अमोनियम नाइट्रेट के सान्द्रता कारक को सत्यापित करेगा।
7. गृह मंत्रालय द्वारा संवेदनशील अधिसूचित किए गए क्षेत्रों से सूर्योस्त से सूर्योदय के मध्य की अवधि में अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
8. अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट का वहन करने वाले ट्रक पर धूम्रपान, अग्नि, कृत्रिम रोशनी या अन्य किसी ऐसी वस्तु की अनुमति नहीं होगी जो आग उत्पन्न करने का कारण बन सकती हो।
9. ट्रक या मेल्ट टैंकर का प्रयोग किसी यात्री को ले जाने के लिए नहीं किया जाएगा।
10. अमोनियम नाइट्रेट के लादने, उतारने या परिवहन के दौरान ट्रक या मेल्ट टैंकर सदैव किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति के प्रभार में होना चाहिए जो अमोनियम नाइट्रेट की धराताई में अनुभवी हो तथा इसके बारे में पूरा जानकार हो। जहाँ ट्रक अनुजप्तिधारी द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, अनुजप्तिधारक द्वारा हस्ताक्षरित, ट्रक चलाने एवं ट्रक के साथ रहने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम सम्बन्धी दस्तावेज ट्रक में रखना चाहिए एवं मांगे जाने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
11. ट्रक या मेल्ट ट्रक में अमोनियम नाइट्रेट की लदान केवल पारेषक के अधिकृत परिसर में किया जाना चाहिए एवं कन्साइनी के अनुजप्त परिसर में ही उतारा जाना चाहिए।
12. अनुजप्तिधारक द्वारा प्ररूप द- 4 में परिवहन किए गए अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा रखा जाना चाहिए एवं मांगे जाने पर निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
13. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अधिकृत परिसर में युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को इस सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी कि वह सुनिश्चित कर सके जिससे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक रूप से पालन किया जा रहा है।
14. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानिएउसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशनएजिला प्राधिकारी तुरन्त दी जाएगी।

अनुजापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुजप्ति

प्ररूप त - 5

अनुजप्तिधारी या
अधिभोगी का हस्ताक्षर
सहित फोटोग्राफ

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची 1 का क्रमांक 5 और नियम 35 देखें)

(क) अमोनियम नाइट्रेट के आयात के लिए अनुजप्ति

या

(ख) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात के लिए अनुजप्ति

अनुजप्ति संख्या

वार्षिक शुल्क रु०

1. अनुजप्ति एतद्वारा जारी की जाती है -

नाम

डाक पता शहर

जिला राज्य पिन कोड

पुलिस स्टेशन रेल्वे स्टेशन या स्टीमर घाट

फोन ईमेल फैक्स

2. अनुजप्तिधारी का स्तर

3. अनुजप्ति निम्न प्रकार के और गुणता के अमोनियम नाइट्रेट के लिए बैध है

(क) अमोनियम नाइट्रेट के आयात हेतु

आयातित अमोनियम नाइट्रेट का भार मी० टन में	बंडल या बैगड रूप में	पारेषक का नाम एवं पता	भंडार गृह या पारेषिती के भंडार गृहों की अनुजप्ति संख्या	आयात का पत्तन	आयात का माध्यम	नौभरण एजेंट का विवरण अमोनियम नाइट्रेट विनियम, 2011 के अधीन अनुजप्ति संख्या

(ख) अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात हेतु

निर्यातित अमोनियम क्रा भार मी० टन में	बैग की संख्या	पारेषक का नाम और पता या देश का विवरण	पारेषक के भंडार गृह की अनुजप्ति संख्या	निर्यात का पत्तन	निर्यात का माध्यम

4. अनुजप्ति, समय समय पर यथा संशोधित विस्फोटक अधिनियम 1884, एवं उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012, शर्तों, अतिरिक्त शर्तों तथा निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है।
5. यह अनुजप्ति तक वैध रहेगी। (जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष)।

यह अनुजप्ति विस्फोटक अधिनियम 1884 या उसके अधीन बनाए गए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का इस अनुजप्ति की शर्तों को कोई उल्लंघन करने पर निलम्बित या प्रतिसंहत की जा सकती है।

तारीख 20.....

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के हस्ताक्षर, पदनाम एवं मुहर

शर्तें

1. आयात किए गए अमोनियम नाइट्रेट को अनुजप्त स्टेवेडोर के भंडार गृह के लिए हटा दिया जाएगा और वाटरप्रूफ बैगों में रखा जाएगा।
2. अमोनियम नाइट्रेट के प्रत्येक बैग चिह्नाकान अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अनुसरण में किया जाएगा।
3. आयात अनुजप्तिधारी बैग अमोनियम नाइट्रेट की डिलीवरी लेगा एवं विक्रेता या उपयोक्ता के अनुजप्त स्थान में डिलीवर करेगा।
4. केवल इस अधिनियम के अधीन अनुजप्त के अतिरिक्त किसी अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया जाएगा।
5. आयात/निर्यात किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा इस अनुजप्ति द्वारा अधिकृत किए गए मात्रा से अधिक नहीं होगा।
6. इस अनुजप्ति द्वारा अधिकृत पत्तन के अतिरिक्त इस अनुजप्ति के आधार पर आयातित अमोनियम नाइट्रेट का वहन करने वाला कोई भी जहाज या नौका एवं किसी भी जहाज या नौका से किसी भी ऐसे अमोनियम नाइट्रेट की अनलोडिंग या ट्रांसशिपमेन्ट नहीं की जाएगी।
7. अनुजप्तिधारी इस अनुजप्ति में उल्लिखित आयात के पत्तन पर लागू सभी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करेगा।
8. जहाज या नौका का मालिक, जिसमें इस अनुजप्ति के आधार पर अमोनियम नाइट्रेट का आयात किया जा रहा है, जब भी आयात/निर्यात के स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षण प्राधिकारी या कस्टम प्राधिकारी द्वारा यदि अपेक्षित हो, को, आयात/निर्यात किए जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट की जाँच हेतु नमूने लेने की अनुमति देंगे।
9. किसी निरीक्षण अधिकारी या नमूना लेने वाले अधिकारी को अधिकृत परिसर में सभी युक्तियुक्त समय पर बराबर अबाध पहुँच प्रदान की जाएगी और ऐसे अधिकारी को सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जाएंगी जिससे कि वह सुनिश्चित कर सके कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों एवं सुरक्षा सम्बन्धी शर्तों को सम्यक् रूप से पालन किया जा रहा है।
10. अग्नि या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और अमोनियम नाइट्रेट की हानि, उसमें कमी या चोरी की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला प्राधिकारी और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक या अनुजापन प्राधिकारी को तुरन्त दी जाएगी।
11. निर्यात या आयात या कब्जे में रखे गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा अनुजप्ति में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. अनुजप्तिधारक अनुसूची ॥ भाग 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में इनका अभिलेख रखेंगे एवं नियम 49 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को मांगे जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के हस्ताक्षर पदनाम एवं मुहर

अनुसूची 2

(भाग - 3)

विवरणियाँ

प्ररूप द - 1

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 36 देखें)

अनुजप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन

(प्ररूप भरने से पहले नीचे दिए गए टिप्पण को देखें)

प्रेषक

सेवा में

महोदय

1. मैं, की ओर से प्ररूप में जारी अनुजप्ति संख्या के से की अवधि के नवीनीकरण हेतु आवेदन करता हूँ और निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ -

पिछले पाँच वर्षों के दौरान -

(i) मैं या हम -

- क. निम्नलिखित अपराधों के लिए सिद्धोष नहीं ठहराया गया हूँ / ठहराए गए हैं/ (जो लागू न होता हो उसे काट दें) सिद्धोष ठहराया गया हूँ / ठहराए गए हैं और दंडादिष्ट किया गया हूँ / किए गए हैं।
- ख. मुझे/हमें परिशांति कायम करने के लिए दण्ड प्रक्रिया सहिता. 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII के अधीन बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया गया है।
- ग. मुझे/हमें न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अनुजप्ति या प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं। (यदि उत्तर हाँ मैं हूँ तो विवरण दें)
- (ii) अनुजापन प्राधिकारी ने मुझे / हमें अधिनियम और इन नियमों के अन्तर्गत प्ररूप में अनुदत्त अनुजप्ति संख्या रद्द कर दी थी / नवीनीकृत नहीं की थी।

2. मैं / हम निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न कर रहा हूँ / कर रहे हैं :-
 (i) अनुमोदित आरेखण एवं अनुसूचियों सहित प्ररूप मैं अनुजप्ति या प्रमाणपत्र
 संख्या
 (ii) नवीनीकरण फीस के लिए मैं आहरित
 बैंक का रु० का ड्राफ्ट।
3. मैं / हम यह पुष्टि करते हैं कि उस अनुजप्ति के सम्बन्ध में, जिसके नवीकरण के लिए आवेदन किया है, के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश या निदेश, अंतरिम या अन्यथा के विषय में आपको सूचित करेंगे, जिसके न हो सकने पर मैं / हम दण्डनीय अपराध कारित करूँगा / करेंगे।
4. मैं / हम यह प्रमाणित करते हैं कि
 (i) हमारे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं।
 (ii) मुझे / हमें इसका जान है कि यदि मेरे द्वारा अमोनियम नाइट्रेट अवैध रूप से किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को अंतरित किया जाता है तो मैं / हम दण्डनीय अपराध कारित करूँगा / करेंगे।
 (iii) मुझे / हमें इसका जान है कि यदि मैं / हम इस आवेदन से सुसंगत कोई सूचना छिपाता हूँ / छिपाते हैं तो मैं / हम दण्डनीय अपराध कारित करूँगा / करेंगे और इसके अतिरिक्त मेरे / हमारे विरुद्ध कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अनुजप्तिधारी के हस्ताक्षर

(कम्पनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

स्थान

आवेदन की तिथि

टिप्पण

1. पूर्ण नवीनीकरण या पुनर्विधिमान्यकरण आवेदन पत्र नवीनीकरण प्राधिकारी के पास अनुजप्ति की समाप्ति की तिथि से पूर्व पहुँच जाना चाहिए जिससे विलम्ब शुल्क से बचा जा सत।
 2. जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्रृष्ठा द - 2

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 14 देखें)

अनुजप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

विनिर्मित, संपरिवर्तित अमोनियम नाइट्रेट का लेखाजोखा

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप में अनुजप्ति संख्या

दिनांक	बैच नम्बर्स	बैग की संख्या	विनिर्माण से उत्पन्न मेल्ट, संपरिवर्तन के मामले में प्रयुक्त मेल्ट
01	02	03	04

विनिर्मित, संपरिवर्तित की गई अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा	टिप्पणी	प्रभारी व्यक्ति या अनुजप्तिधारी के हस्ताक्षर	मेल्ट आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता	क्या फुल यील्ड प्राप्त हुआ ?
05	06	07	08	09

स्थान

तरीख

अनुजप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रृष्ठ द - 3

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 18 देखें)

आयातकर्ता द्वारा लोडिंग के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण किए जाने पर मुख्य नियंत्रक को प्रेषित किया जाने वाला घोषणा पत्र

आयात अनुज्ञित सं0 और तारीख	वैधता	आयात के लिए स्वीकृत मात्रा	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माता का नाम एवं पता

जहाज पर अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा

कन्साइनर का नाम एवं पता	प्रेषण का स्थान या पत्तन	जहाज का नाम एवं चलने की तारीख	आयात का स्थान या पत्तन	आगमन की सम्भावित तारीख

विनिर्माण की तारीख	बैच संख्या	मात्रा	बैग की संख्या

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

(कम्पनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

स्थान

तारीख

पूरा नाम

पता

प्ररूप ट - 4

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 18 देखें)

आयातकर्ता का प्रेषण अनुसूची

आयात के स्थान या पत्तन से अमोनियम नाइट्रेट के कन्साइनमेन्ट के क्लीयर होते ही यह घोषणा पत्र भरकर तीन प्रतियों में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को प्रेषित किया जाना चाहिए

आयातकर्ता का नाम एवं पता	मुख्य नियंत्रक द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नियम के अन्तर्गत जारी आयात अनुजप्ति संख्या और अनुजप्ति समाप्त होने की तिथि	अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माता का नाम और पता

आयात के स्थान या पत्तन से प्रेषण का विवरण

अनुजप्तिधारी का नाम और पता जिसको अमोनियम नाइट्रेट का प्रेषण किया गया था	अनुजप्ति संख्या और प्ररूप	प्रेषित किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	मात्रा	बैग की संख्या

पारेषक का नाम एवं पता	आयात किए गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	स्थान या पत्तन जहाँ से अमोनियम नाइट्रेट भेजा गया था	जहाज का नाम	आगमन की तारीख एवं आयात का स्थान या पत्तन

बैच संख्या एवं तारीख	प्रेषण की तारीख	प्रेषण का माध्यम
.....

आयातकर्ता के हस्ताक्षर

(कम्पनी के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति)

स्थान

आवेदन की तारीख

पूरा नाम

पता

प्ररूप द - 5

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 14 देखें)

नौभरण एजेन्ट द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

अमोनियम नाइट्रेट के नौभरण, बैगिंग, भण्डारण एवं प्रेषण का लेखाजोखा

टिप्पण - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप में अनुजप्ति संख्या

तारीख	जहाज का नाम जहाँ से आयातकर्ता की ओर से प्रपुंज अमोनियम नाइट्रेट उतारा गया	आयातकर्ता का नाम एवं पता सहित आयात अनुजप्ति संख्या
01	02	03

जहाज से उतारे गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा चाहे प्रपुंज में हो या बड़े आकार के बैग या पात्रों में हो	बैग की संख्या जिनमें अमोनियम नाइट्रेट को पुनः पैक किया गया है	बैग में पुनः भरे गए अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा	बैग की संख्या या अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा जो आयातकर्ता को प्रेषित की गई	पैकड अमोनियम नाइट्रेट आयातकर्ता को प्रेषित करने की तारीख
04	05	06	07	08

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता तथा उसकी अनुजप्ति संख्या	ट्रक का रजिस्ट्रेशन संख्या जिसके द्वारा अमोनियम नाइट्रेट प्रेषित किया गया	फैले, संग्रह किए गए गए और पुनः प्रसंस्करण के लिए संपरिवर्तक के पास भेजे गए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा	पास संख्या	अनुजप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर
09	10	11	12	13

अनुजप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्रूप द - 6

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 14 देखें)

परिवहन अनुजप्तिधारी द्वारा अभिलेख रखे जाने का प्रूप

अमोनियम नाइट्रेट या मेल्ट के वाहन या मेल्ट टैंकर द्वारा परिवहन का अभिलेख

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए

अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के प्रूप में अनुजप्ति संख्या तारीख

तारीख	पारेषक का नाम पता एवं अनुजप्ति संख्या	लदाई का स्थान	परिवहन की गई मात्रा		ट्रक या टैंकर रजिस्ट्रेश न संख्या	वाहन चालक का नाम, पता एवं अनुजप्ति संख्या
01	02	03	बैग में अमोनियम नाइट्रेट	अमोनिय म नाइट्रेट मेल्ट	05	06
07						

पास संख्या	पारेषिती का नाम पता एवं अनुजप्ति संख्या	उतारने का स्थान	अमोनियम नाइट्रेट या मेल्ट उतारने की तारीख	टिप्पणी	अनुजप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर
08	09	10	11	12	13

अनुजप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्ररूप दृ- 8

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 को नियम 14 देखें)

अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग का लेखाजोखा

टिप्पणि - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए। प्रविष्टियाँ प्रतिदिन एवं जैसे ही प्रयोग हेतु अमोनियम नाइट्रेट जारी किया जाता है या अप्रयोज्य अमोनियम नाइट्रेट वापस किया जाता है, की जानी चाहिए।

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप में अनुज्ञाप्ति संख्या तारीख.....

तारीख	आरभिक अतिशेष (किग्रा में)	क्रय हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा (किग्रा में)	बैच संख्या	जिससे अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त किया गया, उसका नाम, पता एवं अनुज्ञाप्ति संख्या	पास संख्या	प्रयुक्ति की गई मात्रा (किग्रा में)	उपयोग का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुज्ञाप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्रृष्ठा - 7

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 14 देखें)

परिवहन अनुजप्तिधारी द्वारा लेखाजोखा रखे जाने का प्ररूप

अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय का लेखाजोखा

नोट - यह लेखाजोखा अद्यतन रखा जाए। प्रविष्टियाँ प्रतिदिन एवं जब भी अमोनियम नाइट्रेट का विक्रय हो, की जानी चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट के विक्रय का लेखाजोखा अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्ररूप में अनुजप्ति संख्या दिनांक

तारीख आरंभिक अतिशेष (किंगा में)	प्राप्त हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा (किंगा में)	बैच संख्या	जिससे अमोनियम नाइट्रेट विक्रय किया गया, उसका नाम, पता और अनुजप्ति संख्या	परिवहन माध्यम संख्या एवं ट्रांस्पोर्टर की अनुजप्ति संख्या	का वाहन	पास संख्या
01	02	03	04	05	06	07

विक्रय हुए अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा (किंगा में)	बैच संख्या	जिसको अमोनियम नाइट्रेट विक्रय किया गया, उसका नाम पता और अनुजप्ति संख्या	परिवहन का माध्यम, वाहन संख्या और ट्रांस्पोर्टर की अनुजप्ति संख्या	पास संख्या	अंत अतिशेष (किंगा में)	टिप्पणी
08	09	10	11	12	13	14

अनुजप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्र० ८ - ९

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 14 देखें)

अमोनियम नाइट्रेट की मासिक विवरणी

स्थान जिला राज्य में स्थित अमोनियम नाइट्रेट भण्डार गृह या
 के भण्डार गृह के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्र० ८
 में जारी अनुजप्ति संख्या के सम्बन्ध में माह के दौरान प्राप्त,
 प्रयोग, विक्रय, नष्ट या चोरी हुए

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के प्र० ८ में अनुजप्ति संख्या

1. महीने के प्रथम दिन आरंभिक अतिशेष
2. अमोनियम नाइट्रेट का एकाउण्ट

प्राप्त अमोनियम नाइट्रेट का विवरण

तारीख	मात्रा (किलो में)	आपूर्तिकर्ताओं के नाम, पता और अनुजप्ति संख्या जिनसे अधिनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ था	पास नम्बर
01	02	03	04

3. महीने के दौरान प्रयोग या विक्रय किए गए अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा

तारीख	विक्रय की मात्रा (किलो में)	जिसे अमोनियम नाइट्रेट विक्रय किया गया, उसका नाम, पता एवं अनुजप्ति संख्या	पास नम्बर	उपयोग की मात्रा (किलो में)
01	02	03	04	05

4. महीने के दौरान विनष्ट किए गए अमोनियम नाइट्रेट का विवरण

तारीख	मात्रा (किग्रा में)	विनष्टीकरण का कारण
01	02	03

5. चोरी हुए या कम प्राप्त हुए अमोनियम नाइट्रेट का विवरण

तारीख	मात्रा (किग्रा में)	मात्रा (किग्रा में)	क्या चोरी या हानि की रिपोर्ट पुलिस एवं जिला प्राधिकारी को की गई, यदि हाँ तो सन्दर्भ दें	टिप्पणी
01	02	03	04	05

अनुजप्तिधारी या प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्ररूप द - 10

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 26 (2) (क) देखें)

अमोनियम नाइट्रेट के मांगपत्र का प्ररूप

स्थान

दिनांक

सेवा में

.....

महोदय

कृपया अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित मात्रा मुझे या हमें आपूर्ति करने की कृपा करें।

मात्रा (किग्रा में) :

मुझे या हमें विक्रय या प्रयोग हेतु अमोनियम नाइट्रेट की निम्नलिखित प्रकार एवं मात्रा कब्जे में रखने के लिए अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अन्तर्गत प्ररूप में अनुजप्ति संख्या प्राप्त है

मात्रा (किग्रा में) :

उक्त उल्लिखित अनुजप्ति दिनांक तक वैध है।

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम के अन्तर्गत आवश्यक पृष्ठांकन हेतु अनुजप्ति प्रेषित की जा रही है। कृपया पृष्ठांकन के पश्चात् अनुजप्ति वापस करने की कृपा करें।

मैं या हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करते हैं कि

(क) माँगा गया अमोनियम नाइट्रेट अनुजप्त मात्रा से अधिक नहीं होगा : और

(ख) कोई भी समरूप माँग पत्र किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

*अमोनियम नाइट्रेट कृपया मेरे या हमारे अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किए गए हैं, को हस्तगत करने की कृपा करें -

प्रमाणित

अनुजप्तिधारी के हस्ताक्षर

अनुजप्तिधारी के हस्ताक्षर

(पारेषिती)

स्थान

तारीख

* जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप आर- 11 (क)

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 20 (3) देख)

अमोनियम नाइट्रेट का पारेषण वा पारिवान से पहले पारेषक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना दिए जाने

सम्बन्धी प्ररूप

1. प्रेषण की जावे वाली अमोनियम नाइट्रेट की प्रस्तावित सात्रा
2. फैक्टरी या वेग की संख्या
3. जिस वाहन के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन प्रस्तावित है, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या
4. पारेषता का नाम एवं पता
5. अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करने हेतु पारेषिती के अनुग्रहित की संख्या एवं वैधता
6. पारेषिती के साँग पत्र की संख्या एवं तारीख
7. पारेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पता
8. पारेषण के प्रेषण की तारीख

पारेषक के हस्ताक्षर

अनुग्रहित संख्या

अनुग्रहित प्ररूप

स्थान

तारीख

प्रस्तुति - 11 (ख)

(अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का नियम 21 (4)-(ख) द्वर्धे)

अमोनियम नाइट्रेट के पारेषण के लिए

पारेषक द्वारा निर्गमित पास

1. संख्या
2. यह पास निम्नलिखित मात्रा के अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट मैल्ट के बैगों का समावेश करता है :
 - (क) बैगों की संख्या
 - (ख) मात्रा
 - (ग) बैच संख्या एवं तारीख
 - (घ) विनिर्माता, संपरिवर्तक का नाम
 - (ङ) नौमारिक की अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अधीन जारी अनुज्ञानित संख्या तक से तक अनिवार्य है।
3. अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन वाहन रजिस्ट्रेशन नं 0 द्वारा हो रहा है।
4. पारेषिती का नाम एवं पता
5. पारेषिती के अनुज्ञानित की संख्या एवं प्रस्तुति
6. पारेषिती के माँग पत्र की संख्या और तारीख और माग की गई अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा
7. पारेषिती के पत्र की संख्या और अमोनियम नाइट्रेट की अनिपाप्ति करन की इच्छा की सूचना की तारीख
8. पारेषण के प्रैषण की तिथि
9. पारेषण के गन्तव्य तक पहुँचने की संभावित तारीख

पारेषक के हस्ताक्षर

अनुज्ञानित संख्या

अनुज्ञानित प्रस्तुति

स्थान

तारीख

प्रमाणपत्र

प्ररूप ग - ।

(अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का नियम 18 (5) देखें)

पत्तन में प्रवेश करने से पहले अमोनियम नाइट्रेट ले जाने वाले जहाज के मास्टर या जहाज के एजेन्ट

द्वारा की जाने वाली घोषणा

1. जहाज का नाम
.....

2. पत्तन में आगमन की तारीख..... पत्तन.....

अमोनियम नाइट्रेट का विवरण	विनिर्माण की तारीख, बैच संख्या और बैग पर भेदपरक पहचान चिह्न	ले जाने वाली कुल मात्रा किलोग्राम या बैग में	पत्तन पर उतारे जाने वाली कुल मात्रा किलोग्राम या बैग में	टिप्पणी
.....
.....

जहाज के मास्टर या एजेन्ट के हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

प्रृष्ठा ग - 2

अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र

संख्या

तारीख

आवेदन पंत्र संख्या तारीख के सन्दर्भ में और अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 33 के अनुसरण में सम्यक रूप से पृष्ठांकित और संलग्न स्थल आरेखण में सर्वे नं० या गाटा सं० या खसरा सं० , ग्राम तालुक जिला राज्य स्थित परिसर में श्री या मै० पता को निम्नलिखित उद्देश्य, प्रकार एवं मात्रा के अनोनियम नाइट्रेट हेतु अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम के अन्तर्गत अनुजप्ति जारी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

1. उद्देश्य
2. अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा :
 - (क) किसी एक समय में
 - (ख) एक माह में

अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर

(जिला मजिस्ट्रेट या खान सुरक्षा महानिदेशक)

[फा. सं. 17(12)/2007-विस्फोटक]

डी. बी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2012

G.S.R. 553(E).—Whereas the draft of Ammonium Nitrate Rules, 2011 was published, as required by sub-section (1) of section 18 of Explosive Act, 1884 (4 of 1884) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 694(E), dated the 16th day of September, 2011 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 16th September, 2011;

And, whereas, objections and suggestions were received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) the Central Government hereby makes following rules, namely:-

1. Short title and commencement—

- (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate Rules, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER I
PRELIMINARY

2. Definitions — In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Explosives Act, 1884(4 of 1884);
- (b) “Ammonium Nitrate” means the compound having the chemical formula NH_4NO_3 and includes any mixture or compound having more than 45 percent Ammonium Nitrate by weight including emulsions, suspensions, melts or gels (with or without inorganic nitrates) but excluding emulsion or slurry explosives and non-explosives emulsion matrix and fertilizers from which the Ammonium Nitrate cannot be extracted by any physical or chemical process;